सत्यमेव जयते

लेखे एक दृष्टि में
2014-15

भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग ✦ INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

सत्यमेव जयते
हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश सरकार

लेखे एक दृष्टि में

2014-15

महालेखाकार

(लेखा एवं हकदारी)

हिमाचल प्रदेश सरकार

प्रस्तावना

हिमाचल प्रदेश सरकार के वर्ष 2014-15 के 'लेखे एक दृष्टि में' के हमारे इस वार्षिक प्रकाशन के सत्रहवें संस्करण को प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष है। नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुरूप भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के दिशा-निर्देशों के अधीन मेरे कार्यालय द्वारा राज्य-विधायिका के पटल पर रखे जाने हेतु तैयार किये गये वार्षिक वित्तीय तथा विनियोजन लेखाओं में उपलब्ध सूचना के प्रधान-अंगों को और अधिक सुगम तथा सारगर्भित बनाना ही इस प्रकाशन का उद्देश्य है। वित्तीय लेखे, समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा की संक्षिप्त-विवरणिकाएं हैं। विनियोजन लेखे राज्य विधायिका द्वारा अनुमोदित किए गए प्रावधानों के अन्तर्गत अनुदान-वार व्यय को दर्शाते हैं तथा वास्तविक व्यय और प्रदत्त-निधियों के बीच अन्तरों की व्याख्या करते हैं।

'लेखे एक दृष्टि में' सरकारी कार्यकलापों, जैसा कि वित्तीय लेखाओं तथा विनियोजन लेखाओं में प्रदर्शित हैं, को व्यापक अधि-दृष्टि प्रदान करता है। संक्षिप्त स्पष्टीकरणों, विवरणिकाओं तथा लेखाचित्रों के माध्यम से सूचनाएं प्रस्तुत की गई हैं।

हमें आपके सुझावों की प्रतीक्षा रहेगी ।

(सुशील कुमार)

शिमला

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

दिनांकः 15.12.2015

हमारा दृष्टिकोण, उद्देश्य तथा आन्तरिक मूल्य

दृष्टिकोणः-

भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के संस्थान का दृष्टिकोण यह दर्शाता है कि हम क्या बनना चाहते हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षण एवं लेखांकन के क्षेत्र में राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय सर्वोच्च पद्धतियों की पहल तथा विश्वव्यापी नेतृत्व की ओर हम सतत अग्रसर हैं और लोक वित्त एवं अभिशासन पर स्वतन्त्र, विश्वसनीय, संतुलित तथा समय-बद्ध रिपोर्टिंग हेतु जाने जाते हैं।

उद्देश्यः-

हमारा उद्देश्य हमारी वर्तमान भूमिका को निरूपित करता हैं तथा हमारे आज किए जाने वाले कार्य को परिभाषित करता है।

भारत के संविधान द्वारा अधिदेशित, हम उच्च गुणात्मक लेखा-परीक्षण तथा लेखांकन के माध्यम से उत्तरदायित्व, पारदर्शिता तथा सदभाव-पूर्ण अभिशासन को प्रोन्नत करते हैं तथा अपने पणधारियों, विधायिका, कार्यपालिका तथा जनता को इस बात से आश्वस्त करते हैं कि लोक-निधियों को दक्षता-पूर्वक एवं अपेक्षित-उद्देश्यों हेतु ही उपयोग किया जा रहा है।

आन्तरिक मूल्यः-

हमारे आन्तरिक मूल्य हमारे समस्त कार्य-कलापों के मार्गदर्शक संकेत हैं तथा हमें हमारी निष्पादिता के आंकलन हेतु सन्दर्भिका प्रदान करते हैं।

- स्वतन्त्रता
- वस्तुनिष्ठता
- सत्यनिष्ठा
- विश्वसनीयता
- व्यावसायिक उत्कृष्टता
- पारदर्शिता
- सकारात्मक दृष्टिकोण

विषय सूची

अध्याय I	**अधिदृष्टि**	**पृष्ठ**
1.1	भूमिका	1
1.2	सरकारी लेखाओं की संरचना	1-2
1.3	वित्त लेखे तथा विनियोजन लेखे	3-4
1.4	निधियों का स्त्रोत तथा अनुप्रयोग	4-6
1.5	वर्ष 2014-15 में वित्तीय आकर्षण	7-8
1.6	राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्ध(एफ आर बी एम) अधिनियम, 2005	8-11
अध्याय II	**प्राप्तियां**	
2.1	भूमिका	12
2.2	राजस्व प्राप्तियां	12-14
2.3	कर राजस्व	14-16
2.4	कर वसूली में दक्षता	17
2.5	संघीय करों में राज्य के अंश में पिछले पांच वर्षो का *रूझान*	17
2.6	सहायता-अनुदान	18
2.7	लोक ऋण	18-19
अध्याय III	**व्यय**	
3.1	भूमिका	20
3.2	राजस्व व्यय	20-22
3.3	पूंजीगत व्यय	22-23
अध्याय IV	**योजनागत तथा योजनेतर व्यय**	
4.1	व्यय का वितरण	24
4.2	योजनागत व्यय	24-25
4.3	योजनेतर व्यय	25-26
4.4.	प्रतिबद्ध व्यय	26-27
अध्याय V	**विनियोजन लेखे**	
5.1	वर्ष 2014-15 के लिए विनियोजन लेखों का सारांश	28
5.2	विगत पांच वर्षो में बचत/आधिक्य का रूझान	28
5.3	महत्वपूर्ण बचतें	29-34
अध्याय VI	**परिसम्पतियां तथा दायित्व**	
6.1	परिसम्पतियां	35
6.2	ऋण तथा देनदारियां	35-36
6.3	प्रतिभूतियां	36

अध्याय VII अन्य मदें

7.1	आन्तरिक ऋणों के अधीन प्रतिकूल शेष	37
7.2	राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण व अग्रिम	37
7.3	स्थानीय निकायों तथा अन्य को वित्तीय सहायता	37-38
7.4	रोकड़-शेष तथा रोकड़-शेष का निवेश	38
7.5	लेखाओं का समाधान	38-39
7.6	लेखे प्रस्तुत करने वाली इकाईयों द्वारा लेखाओं का प्रेषण	39
7.7	अग्रिम भुगतान	39
7.8	अपूर्ण पूंजीगत निमार्ण कार्यो बारे वचनबद्धता	39

अध्याय-I

अधिदृष्टि

1.1 भूमिका

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) हिमाचल प्रदेश विभिन्न अभिकरणों/एजेसियों द्वारा संग्रहित, वर्गीकृत,एवं लेखा सामग्री को संकलित करने तथा हिमाचल प्रदेश सरकार के लेखे तैयार करने का कार्य करता है। यह संकलन जिला खजानों , लोक निर्माण मण्डलों, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मण्डलों व वन मण्डलों द्वारा प्रेषित किए गए प्रारम्भिंक लेखाओं तथा अन्य राज्यों/लेखा कार्यालयों एवं भारतीय रिजर्व बैंक के संज्ञापनो पर आधारित होता है। कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार के समक्ष प्रतिमाह एक मासिक सिविल लेखा प्रस्तुत किया जाता है। कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा सरकार के व्यय की गुणवता एवं महत्वपूर्ण वित्तीय सकेतकों की तिमाही टिप्पणी भी प्रस्तुत की जाती है। प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) हिमाचल प्रदेश द्वारा लेखा-परीक्षण करने तथा भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित किए जाने के पश्चात महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) संकलित इन लेखाओं से वार्षिक वित्त लेखे तथा विनियोजन लेखे तैयार करता है जिन्हें राज्य विधान सभा के पटल पर रखा जाता है।

1.2 सरकारी लेखाओं की संरचना

1.2.1 सरकारी लेखाओं को निम्नलिखित तीन भागों में रखा जाता हैः-

सरकारी लेखाओं की संरचना	
भाग- I **समेकित निधि**	कर तथा गैर -कर राजस्वों सहित सरकार के सभी राजस्वों उठाऐ गये ऋण एवं दिये गये ऋणों की अदायगी (उन पर ब्याज सहित) समेकित निधि में जमा हैं। ऋणों की अदायगी तथा लिए गए ऋणों की वापसी (ब्याज सहित) सरकार की समस्त खर्चों तथा संवितरणों को इस निधि से वहन किया जाता है।
भाग- II **आकस्मिकता निधि**	विधानपालिका द्वारा प्राधिकरण के अधीन यह आकस्मिकता निधि एक अग्रदाय स्वरूप की है जिसे अप्रत्याशित-व्यय के लिए खर्च किया जाता है। बाद में इस प्रकार के व्यय की प्रतिपूर्ति आकस्मिकता निधि से की जाती है। हिमाचल प्रदेश सरकार की इस निधि हेतु कायिक-राशि ₹ 5 करोड़ है।
भाग- III **लोक लेखा**	समेकित निधि को क्रेडिट की जाने वाली राशि के अलावा अन्य प्राप्त सभी लोक धन राशियों को लोक-लेखा के अधीन लेखाबद्ध किया जाता है। ऐसी प्राप्तियों के सम्बन्ध में सरकार बैंकर या ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है। लोक लेखा के अन्तर्गत समाहित है । लघु बचतों तथा भविष्य-निधियों जैसी वापसियां, आरक्षित निधि, जमा तथा अग्रिम, उचन्त तथा विविध लेन देन (अन्तिम लेखा शीर्षो में बुकिंग के अधीन समायोजन प्रविष्टियां) लेखाकरण सत्ता के बीच सम्प्रेषण तथा रोकड़ शेष।

1.2.2 लेखाओं का संकलन

लेखा संकलन हेतु प्रवाह आरेख

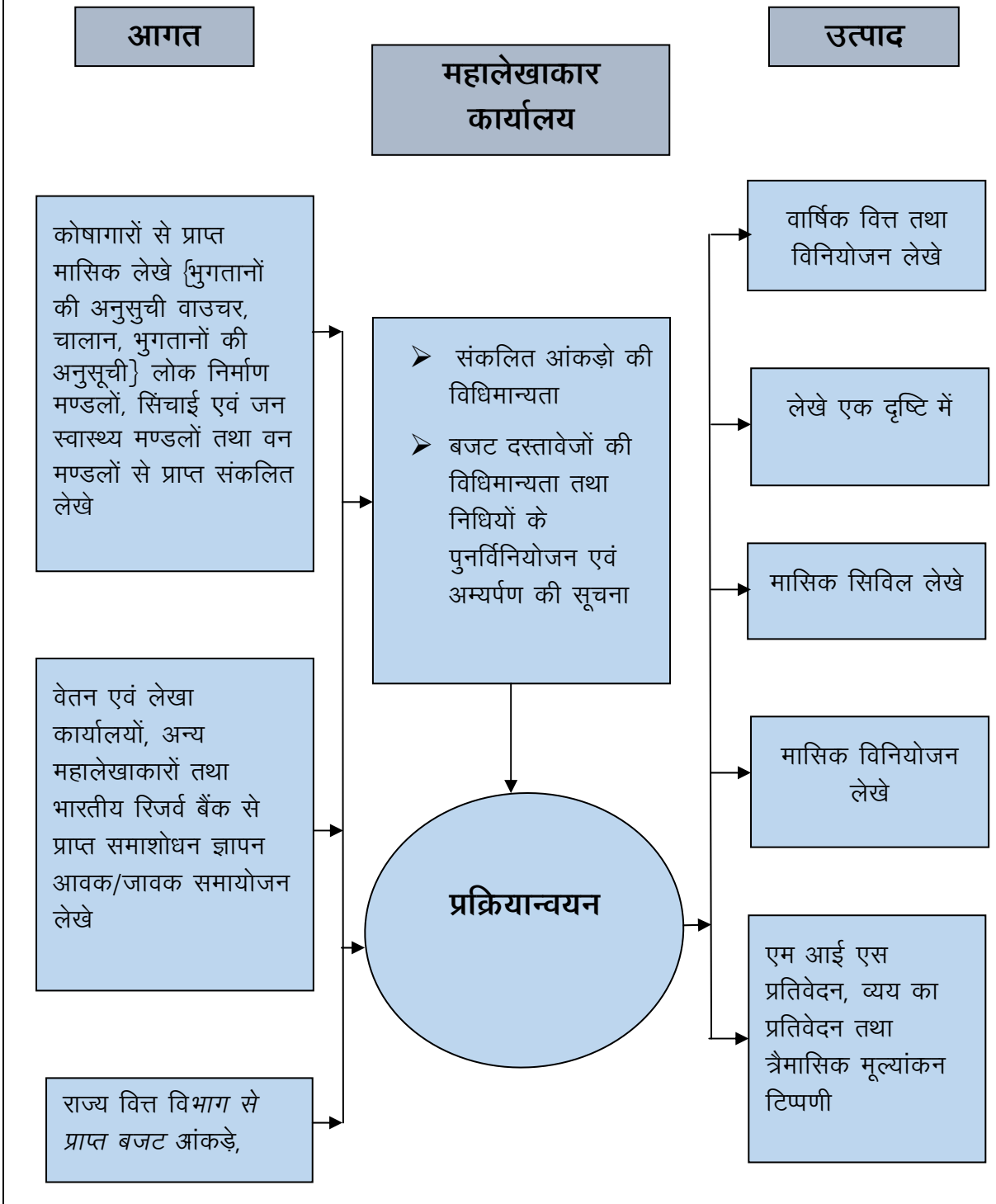

1.3 वित्त लेखे तथा विनियोग लेखे

1.3.1 वित्त लेखे

वित्त लेखे में, लेखाओं में अभिलेखित राजस्व तथा पूंजीगत लेखाओं, लोक ऋण तथा लोक - लोक शेषों द्वारा उजागर वित्तीय परिणामों के साथ-साथ उस वर्ष में सरकार की प्राप्तियां तथा संवितरण इंगित की जाती हैं। वित्त लेखे को ज्यादा व्यापक तथा सूचनापूर्ण बनाने के लिए इन्हें दो खण्डों में तैयार किया गया है। वित्त-लेखे के खण्ड-I में भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र, समग्र प्राप्तियों तथा संवितरणों की सारांश विवरणियां एवं सार्थक लेखाकरण नीतियों, लेखाओं तथा अन्य मदों की गुणवत्ता को समाहित करती 'लेखाओं पर टिप्पणियां' का समावेश किया जाता है। खण्ड-II के अन्तर्गत विस्तृत विवरणियां (भाग- I) तथा परिशिष्ट (भाग- II) समावेश किया जाता हैं ।

वित्त लेखे 2014-15 के अन्तर्गत दर्शाई गई हिमाचल प्रदेश सरकार की प्राप्तियां तथा संवितरण निम्नलिखित हैं:-

वर्ष 2014-15 में प्राप्तियाँ तथा संवितरण			(₹ करोड़ में)
प्राप्तियाँ	**कुल प्राप्तियाँ**		**22734**
	राजस्व	कर राजस्व	8584
		गैर कर-राजस्व	2081
		सहायता अनुदान	7178
		राजस्व प्राप्तियां	**17843**
	पूंजीगत	ऋणों व अग्रिमों की वसूली	41
		उधार तथा अन्य दायित्व*	4200
		अन्य प्राप्तियां	650
		पूंजीगत प्राप्तियां	**4891**
संवितरण	**कुल संवितरण**		**22734**
	राजस्व		19787
	पूंजीगत		2473
	ऋण एवं अग्रिम		474

* उधारी तथा अन्य दायित्वः संकल (प्राप्तियां - संवितरण) लोक ऋण + सकल आकास्मिकता निधि + सकल (प्राप्तियां - संवितरण) लोक लेखा + सकल प्रारम्भिक तथा समापन रोकड़ शेष।

हिमाचल प्रदेश विधानसभा द्वारा सम्बन्धित वर्ष हेतु अनुमोदित व्यय के अतिरिक्त राज्य में विभिन्न स्कीमों एवं कार्यक्रमों पर खर्च करने के लिए भारत सरकार राज्य क्रियान्वयन एजैंसियों/गैर सरकारी संगठनों (एन जी ओ) को पर्याप्त निधियों का प्रत्यक्ष रूप से अन्तरण करती है। ऐसे अन्तरणों (इस वर्ष ₹279 करोड़ की राशि) को राज्य सरकार के लेखों में दर्शाया नहीं गया है, अपितु वित्त-लेखे के खण्ड- II में परिशिष्ट- VI में प्रदर्शित किया गया है।

1.3.2 विनियोजन लेखे

संविधान के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि कोई भी व्यय विधायिका के प्राधिकरण के बिना नहीं किया जा सकता। संविधान में वर्णित कुछ ऐसे व्ययों को छोड़कर, जिन्हें समेकित-निधि को प्रभारित किया जाता है तथा विधायिका के वोट के बिना खर्च किया जा सकता है, बाकी अन्य सभी व्यय "दत्तमत" होना आवश्यक है। हिमाचल प्रदेश के बजट में 14 प्रभारित विनियोजन तथा 32 दत्तमत अनुदान है। विनियोजन लेखाओं का उद्देश्य यह दर्शाना है कि विनियोजन के साथ संकलित किए गए वास्तविक व्यय को किस सीमा तक प्रति वर्ष के विनियोजन अधिनियम के माध्यम से विधायिका द्वारा प्राधिकृत किया गया है।

वर्ष के अन्त में, विधायिका द्वारा अनुमोदित बजट के सम्मुख हिमाचल प्रदेश सरकार के वास्तविक व्यय के अन्तर्गत व्यय में कटौती के कारण ₹373 करोड़ (प्राक्कलनों का 1.18 *प्रतिशत*) की सकल बचत तथा ₹448 करोड़ (प्रावकलनों का 23 *प्रतिशत*) के अव-प्राक्कलनों को दर्शाया गया है। न्याय प्रशासन, पुलिस और सम्बन्ध संगठन, शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, लोक निर्माण-सड़क, पुलों तथा भवन, योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उपयोजना, उद्योग, खनिज, आपूर्ति एवं सूचना प्रद्यौगिका, ग्रामीण विकास, सहकारिता, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, श्रम, रोजगार एवं प्रशिक्षण, शहरी विकास, नगर एवं ग्राम योजना तथा आवास, जनजातीय विकास एवं अनुसूचित जाति उपयोजना से सम्बन्धित कुछ अनुदानों के अर्न्तगत प्रचुर बचत प्रदर्शित किए गए हैं।

1.4 निधियों का स्त्रोत तथा अनुप्रयोग

1.4.1 अर्थोपाय अग्रिम

रिजर्व बैंक के साथ बनाए रखे जाने वाले आपेक्षित न्यूनतम नकद शेषों में कमी को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से आर्थोपाय अग्रिम लिए जाते हैं। वर्ष 2014-15 के दौरान ₹4193 करोड़ की राशि ली गई तथा ₹4193 करोड़ वापिस किए गए।

1.4.2 भारतीय रिजर्व बैंक से ओवर ड्राफ्ट

भरतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नगदी शेष ₹0.55 करोंड़ की कमी के कारण भरतीय रिजर्व बैंक द्वारा ओवर ड्राफ्ट दिया जाता है। वर्ष 2014-15 के दौरान ₹2667 करोंड़ का ओवर ड्राफ्ट लिया गया।

1.4.3 निधि प्रवाह विवरणिका

31 मार्च 2015 को राज्य का राजस्व- घाटा ₹1944 करोड़ तथा राजकोषीय घाटा ₹4200 करोड़ था। राजकोषीय घाटा की पूर्ति निवल लोक ऋण (₹2617 करोड़), लोक लेखा में बढौतरा (₹1731 एक्करोह) तथा आदि तथा अन्त शेष में निवल बढौतरी (₹148 करोड़) द्वारा की गई। राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों (₹17843 करोड़) का लगभग 84 *प्रतिशत* वेतनों

(₹8195 करोड़),ब्याज-अदायगियों (₹2849 करोड़), तथा पैंशन (₹2914 करोड़) और उपदान (₹801 करोड़) तथा मजदूरी (₹223 करोड़) जैसे प्रतिबद्ध-व्यय पर खर्च हुआ।

निधियों का स्त्रोत तथा अनुप्रयोग		*(₹ करोड़ में)*
	विवरण	राशि
स्त्रोत	01 अप्रैल 2014 को आरम्भिक रोकड़ शेष	(-)887
	राजस्व प्राप्तियां	17843
	पूंजीगत प्राप्तियां	650
	ऋणों व अग्रिमों की वसूली	41
	लोक ऋण	10877
	लघु बचत, भविष्य निधि व अन्य	3153
	आरक्षित तथा निक्षेप निधियां	161
	प्राप्त जमा	2137
	चुकता किए गए सिविल अग्रिम	85
	उचन्त लेखे	5649
	सम्प्रेषण	4552
	योग	44261

प्रयुक्त	राजस्व व्यय	19787
	पूंजीगत व्यय	2473
	दिए गए ऋण	474
	लोक ऋणो की अदायगी	8260
	लघु बचत, भविष्य निधि तथा अन्य	1968
	आरक्षित तथा निक्षेप निधियां	159
	प्राप्त जमा	1633
	दिए गए सिविल अग्रिम	85
	उचन्त लेखे	5621
	सम्प्रेषण	4541
	31 मार्च 2015 को अन्तिम रोकड़ शेष	(-)740
	योग	44261

1.4.4 ₹ कहाँ से आया

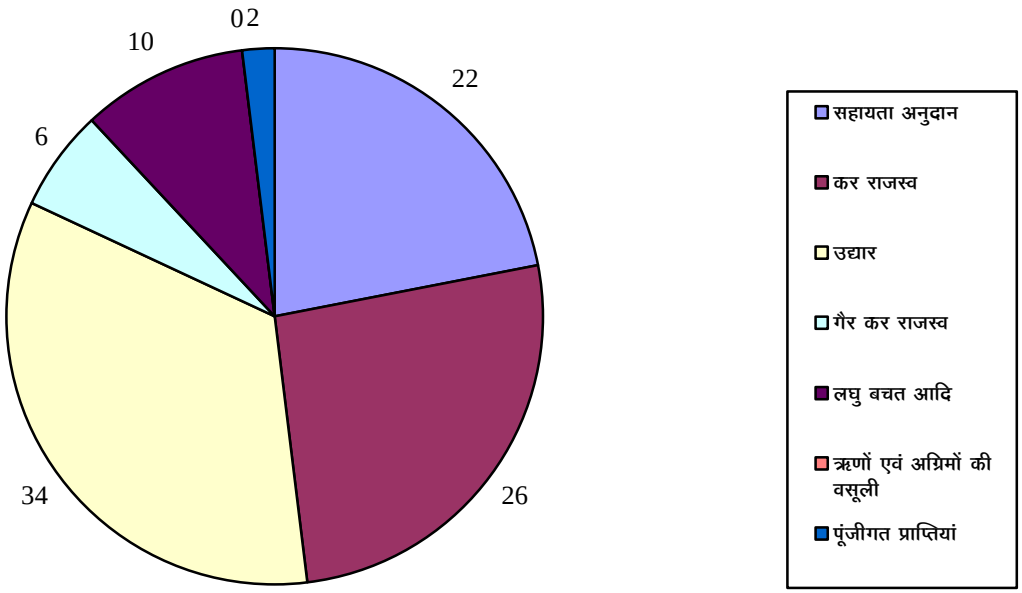

(ऋणों व अग्रिमों की वसूली केवल ₹ 41 करोड़ थी जो कि नगण्य थी अतः मूल्य शून्य दर्शाया गया है)

1.4.5 ₹ कहां गया

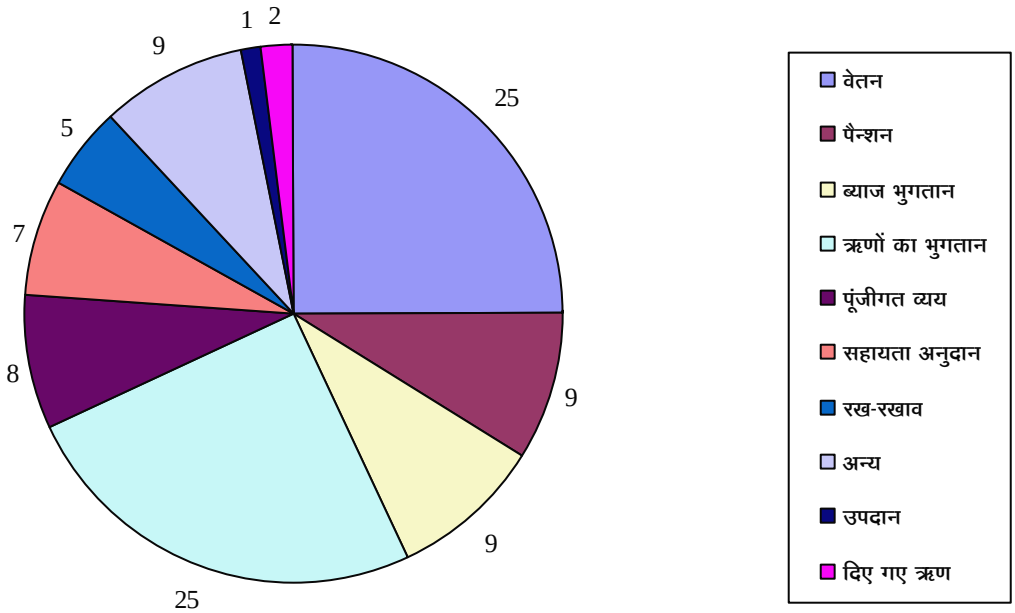

1.5 वर्ष 2014-15 में वित्तीय आर्कषण

(₹ करोड़ में)

क्र0 स0		बजट प्राक्कलन 2014-15	वास्तविक आंकड़े 2014-15	बजट प्राक्कलनों के साथ वास्तविक आंकड़ों की प्रतिशतता	जी0डी0पी0 के साथ वास्तविक आंकड़ों की प्रतिशतता
1.	कर राजस्व (क)	8702	8584	99	9
2.	गैर कर-राजस्व	1389	2081	150	2
3.	सहायता अनुदान एवं अंशदान	6431	7178	112	8
4.	**राजस्व प्राप्तियां (1+2+3)**	**16522**	**17843**	**108**	**19**
5.	ऋणों व अग्रिमों की वसूली	26	41	158	--
6.	अन्य प्राप्तियां (ख)	200	650	325	1
7.	उधार तथा अन्य दायित्व	5354	4200	78	4
8.	**पूंजीगत प्राप्तियां (5+6+7)**	**5580**	**4891**	**88**	**5**
9.	**कुल प्राप्तियां (4+8)**	**22102**	**22734**	**103**	**24**
10	आयोजनेतर व्यय	17683	16646	94	17
11.	राजस्व-लेखा पर आयोजनेतर व्यय	17656	16583	94	17
12.	मद संख्या 11 में से ब्याज अदायगियों पर आयोजनेतर व्यय	2750	2894	105	3
13.	पूंजीगत लेखा पर आयोजनेतर व्यय (ग)	27	63	233	--
14.	योजनागत व्यय	4052	6088	150	6
15.	राजस्व लेखा पर योजनागत व्यय	2178	3204	147	3
16.	पूंजीगत-लेखा पर योजनागत व्यय (घ)	1924	2884	150	3
17.	**कुल व्यय (10+14) (ङ)**	**22102**	**22734**	**103**	**24**
18.	**राजस्व व्यय (11+15)**	**19784**	**19787**	**100**	**21**
19.	**पूंजीगत व्यय (13+16)**	**2319**	**2947**	**127**	**3**
20.	**राजस्व घाटा (-) राजस्व आधिक्य (+) (18-4)**	**(-)3362**	**(-)1944**	**60**	**(-)2**
21.	**राजकोषीय घाटा (4+5+6-17)**	**(-)5354**	**(-)4200**	**(-)78**	**(-)4**

(क) संघीय करों ₹ 2644 करोड़ के राज्य-भागों सहित (राज्य सरकार की कर प्राप्तियाँ ₹ 5940 करोड़ थी जो कि जी एस डी पी का प्रतिशत है।

(ख) उधारी तथा अन्य दायित्वः- लोक-ऋण की शुद्ध राशि (प्राप्तियां - संवितरण) + आकस्मिकता व्यय निधि की शुद्ध राशि + लोक लेखा की शुद्ध राशि (प्राप्तियां-संवितरण) + प्रारम्भिक तथा अन्तिम शेष की शुद्ध राशि।

(ग) ऋणों तथा अग्रिमों से सम्बन्धित ₹ 21 करोड़ सहित।

(घ) ऋणों तथा अग्रिमों से सम्बन्धित ₹ 453 करोड़ सहित।

(ङ) पूंजीगत लेखाओं पर व्यय में पूंजीगत व्यय (₹ 2473 करोड़) तथा संवितरित ऋण एवं अग्रिम (₹ 474 करोड़) सम्मिलित हैं।

\# सकल राज्य घरेलु उत्पाद आंकड़े (₹ 95587 करोड़) हिमाचल प्रदेश सरकार के आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग से 01 अगस्त 2015 को लिए गये क्योंकि यह आंकड़े भारत सरकार के सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यन्वयन मंत्रालय के वेव साइट पर उपलब्ध नहीं है।

* बुक-समायोजन द्वारा ₹1 करोड़ की राशि शामिल है।

₹1944 करोड़ का राजस्व घाटा(वर्ष 2013-14 में ₹1641 करोड़ घाटा) तथा ₹4200 करोड़ का राजकोषीय-घाटा(वर्ष 2013-14 में ₹4011 करोड़) सकल राज्य घरेलू उत्पाद का क्रमशः 2 *प्रतिशत* तथा 4 प्रतिशत है। राजकोषीय घाटा समग्र व्यय का 18 *प्रतिशत* रहा।

घाटा तथा आधिक्य क्या इंगित करते हैं ?	
घाटा	राजस्व तथा व्यय के बीच के अन्तर से सम्बन्धित है। घाटे का स्वरूप, घाटा वित्तपोषित कैसे हो तथा निधियों का अनुपयोग वित्तीय-प्रबन्धन में दूरदर्शिता व सूझ-बूझ के महत्वपूर्ण संकेतक है।
राजस्व घाटा /आधिक्य	राजस्व तथा व्यय के बीच के अन्तर को दर्शाता है। सरकार की वर्तमान स्थापना के रखरखाव हेतु राजस्व व्यय की आवश्यकता होती है तथा आदर्श स्वरूप राजस्व प्राप्तियों से ही इसे पूर्णतया वहन किया जाना चाहिये
राजकोषीय घाटा /आधिक्य	सकल प्राप्तियों (उधारियों रहित) तथा सकल व्यय के बीच के अन्तर को दर्शाता है। यह अन्तर इसलिए यह इंगित करता है कि व्यय को किस हद तक उधारी द्वारा वित्त-पोषित किया गया और आदर्श स्वरूप इसे पूंजीगत परियोजनाओं में निवेषित किया जाना चाहिए।

1.6 राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्ध(एफ आर बी एम) अधिनियम, 2005

हिमाचल प्रदेश सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्ध (एफ आर बी एम) अधिनियम, 2005 को लागू किया है। इसी अधिनियम के अन्तर्गत् राज्य सरकार द्वारा विशिष्ट अवधी में राजकोषीय लक्ष्यों को प्राप्त करना था। वर्ष 2014-15 के दौरान अधिनियम में राजकोषीय लक्ष्य तथा नियमों की उपलब्धि निम्नलिखित थीः-

क्रम संख्या	वित्तीय मापदण्ड	वास्तविक (₹ करोड़ में)	जीएसडीपी का अनुपात*	
			लक्ष्य	उपलब्धि
1	राजस्व घाटा	1944	वर्ष 2011-12 में समाप्त करना	2.03
2	राजकोषीय घाटा	4200	3.00 या कम	4.39
3	ऋण तथा अन्य दायित्व	38192	40.1	39.95

* सकल राज्य घरेलु उत्पाद आंकड़े (₹ 95587 करोड़) हिमाचल प्रदेश सरकार के आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग से 01 अगस्त 2015 को लिए गये क्योंकि यह आंकड़े भारत सरकार के सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यन्वयन मंत्रालय के वेव साइट पर उपलब्ध नहीं है।

वर्ष के अन्त में दीर्घकालिक ऋण पर प्रत्याभूतियां जैसाकि राज्य सरकार द्वारा अनुमानित था पूर्ववर्ती वर्ष में कुल राजस्व प्राप्ति का 27.25 प्रतिशत था जो कि लक्ष्य यानि पिछले वर्ष के राजस्व प्राप्ति के 40 प्रतिशत के भीतर था।

राज्य सरकार के आवश्यक उदघोषित विधान मण्डल में प्रस्तुत किये जो कि हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत् विवरणो को दर्शाना अनिवार्य था।

वर्ष 2013-14 में राज्य का राजस्व घाटा ₹1641 करोड़ था जो वर्ष 2014-15 में बढ़ कर ₹1944 करोड़ हो गया। वर्ष 2013-14 में ₹4011 करोड़ के राजकोषीय घाटे में ₹189 करोड़ की बढ़ौतरी के कारण चालू वर्ष में राजकोषीय घाटा ₹4200 करोड़ रहा यह सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4 प्रतिशत के बराबर था जो कि संशोधित राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम में निरर्धारित लक्ष्य 3 प्रतिशत से अधिक है। 31 मार्च 2015 को परादेय ऋण ₹38192 करोड़, सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 40 प्रतिशत है जो परादेय ऋण को कम करने के लक्ष्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 40.1 प्रतिशत के भीतर है,। इसी प्रकार परादेय प्रतिभूतियों की राशि के लक्ष्य को पिछले वर्ष 2013-14 के सकल राजस्व प्राप्तियाँ 40 प्रतिशत से कम बनाए रखना है जो कि 31 मार्च 2015 को ₹4281 करोड़, पिछले वर्ष 2013-14 के सकल राजस्व प्राप्तियाँ (₹15711 करोड़) के 27 प्रतिशत के बराबर है।

1.6.1 राजस्व घाटा / आधिक्य के रूझान

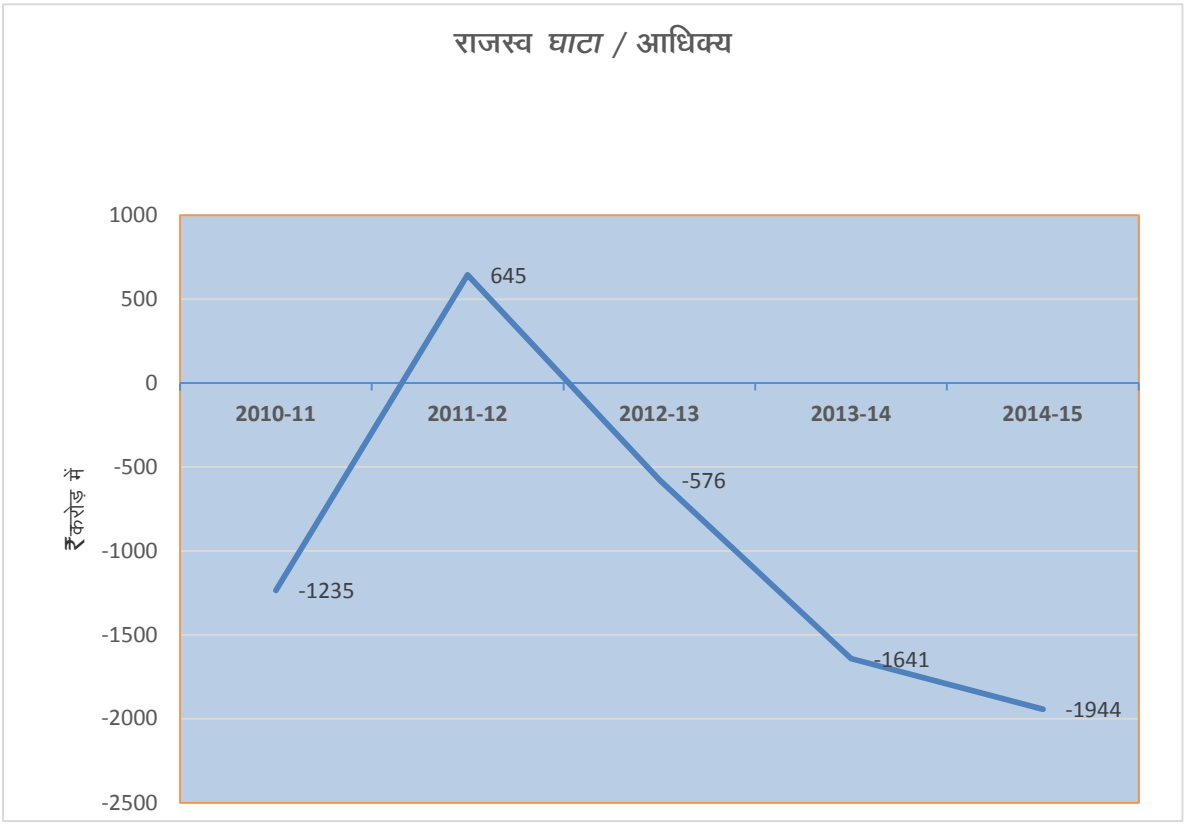

1.6.2 राजकोषीय घाटे का रूझान

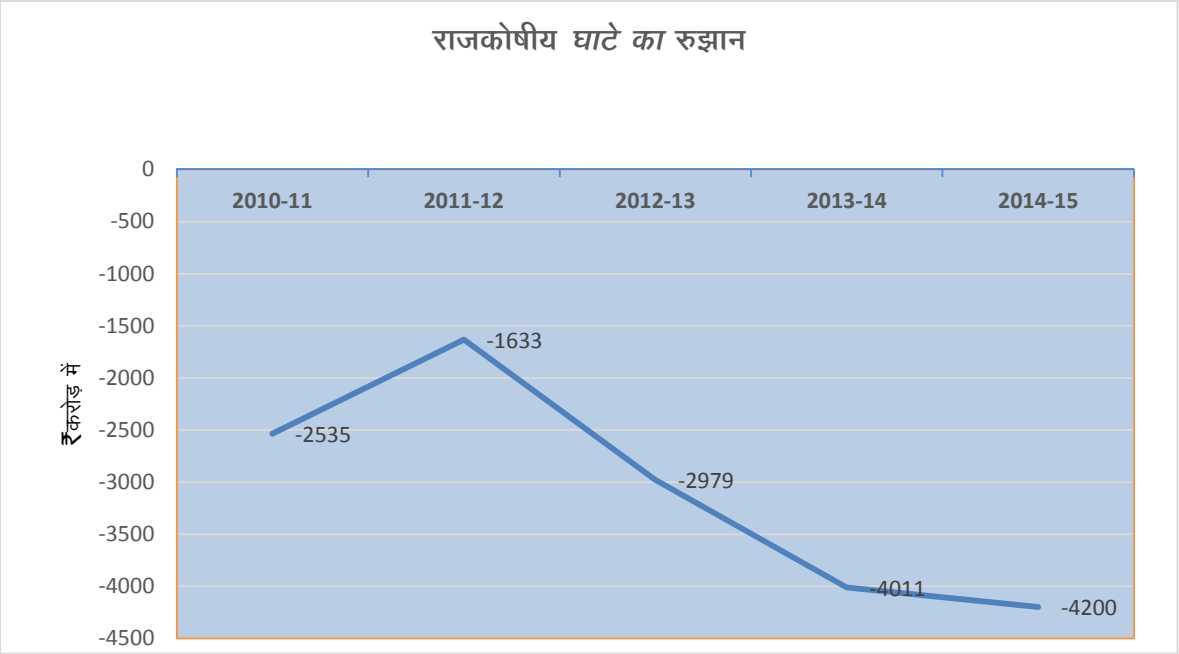

1.6.3 पूंजीगत व्यय पर खर्च की गई उधार निधि का अनुपात

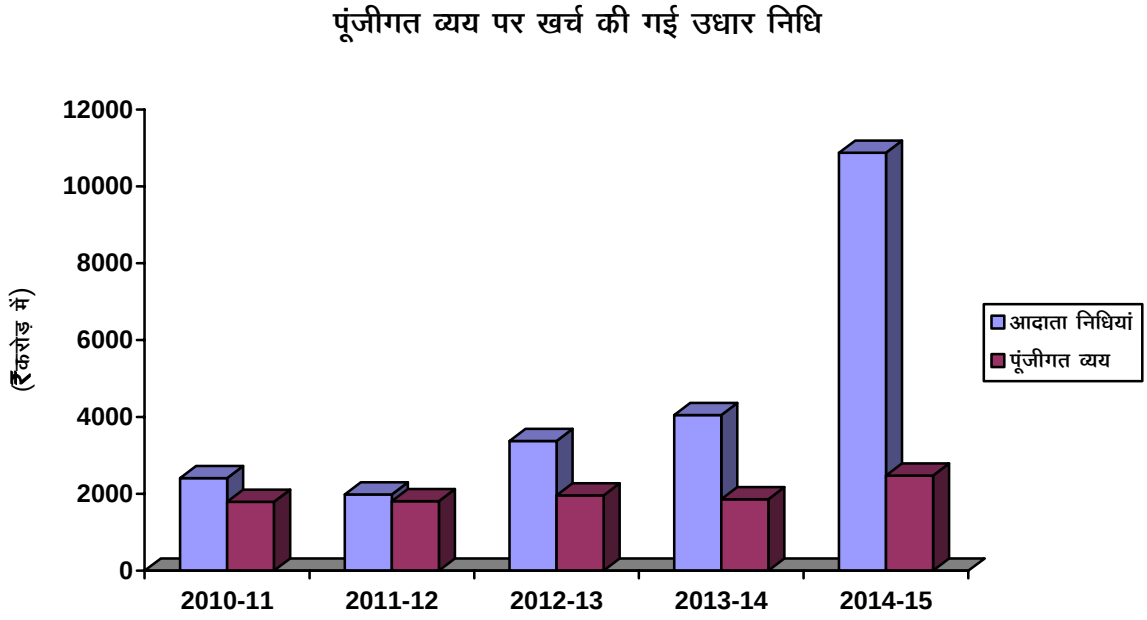

सामान्यतः सरकार राजकोषीय घाटे का चली जाती है तथा आर्थिक व सामाजिक ढ़ाचे के निर्माण के लिए तथा पूंजीगत/परिसम्पतियों के निर्माण के लिए ऋण लेती है। अतएव ऋणों द्वारा निर्मित परिसम्पतियाँ अपने लिए स्वयं आय उत्पन्न कर सके । इस प्रकार पूंजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु ऋणों के पूर्णतया उपयोग तथा मूलधन एवं ब्याज की

वापिसी हेतु राजस्व-प्राप्तियों के इस्तेमाल आपेक्षित है। हालांकि राज्य सरकार द्वारा केवल पूंजीगत व्यय पर ₹2473 करोड़ का खर्च किया गया है जो चालू वर्ष का गृहित-निधि (₹10877 करोड़) का केवल 23 *प्रतिशत* था। अतः यह प्रतीत हाता है कि लोक ऋण में उद्यार का शेष ₹8260 करोड़ पिछले वर्षो के लोक ऋण पर मूल राशि तथा ब्याज की अदायगी पर उपयोग किया गया है।

अध्याय- II

प्राप्तियां

2.1 भूमिका

सरकार की प्राप्तियों को राजस्व प्राप्तियों तथा पूंजीगत प्राप्तियों में वर्गीकृत किया जाता है। वर्ष 2014-15 में कुल प्राप्तियां ₹22734 करोड़ थी ।

2.2 राजस्व प्राप्तियां

सरकार की राजस्व प्राप्तियों के मुख्यतः तीन घटक हैं :- कर राजस्व, गैर कर राजस्व तथा संघ सरकार द्वारा प्रदान सहायता अनुदान।

कर राजस्व	राज्य सरकार द्धारा एकत्रित तथा प्रतिधारित कर तथा संविधान की धारा 280 (3) के अन्तर्गत केन्द्रीय करों में राज्यों का हिस्सा सम्मिलित होते है।
गैर कर-राजस्व	ब्याज प्राप्तियां, लाभांश, लाभ, विभागीय प्राप्तियाँ आदि सम्मिलित होते है।
सहायता अनुदान	सहायता अनुदान , संघ सरकार द्वारा राज्य सरकार को दी गई केन्द्रगत-सहायता को अभिव्यक्त करते हैं । इसमें विदेश सरकार से प्राप्त तथा केन्द्र सरकार के माध्यम से सारणीबद्ध " वैदेशिक सहायता अनुदान " भी शामिल है । बदले में , राज्य- सरकार पंचायती राज संस्थान , स्वायत्त निकायों आदि जैसे संस्थानों को सहायता अनुदान भी देती है ।

राजस्व-प्राप्तियां

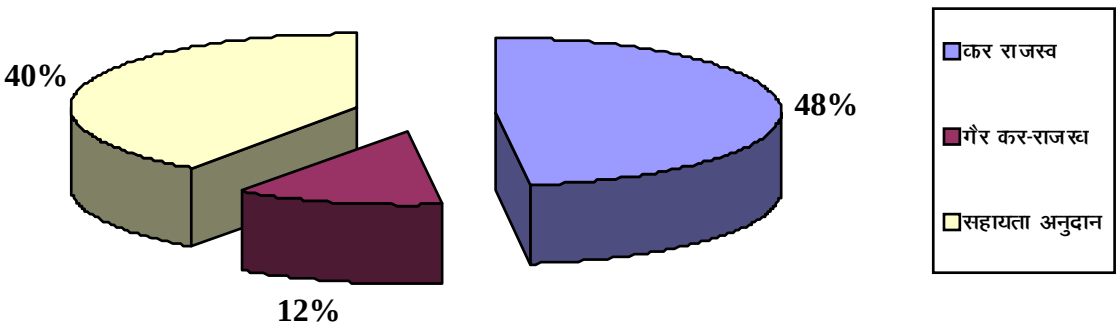

2.2.1 राजस्व प्राप्तियों के घटक (2014-15)

(₹ करोड़ में)

घटक	**वास्तविक आंकडे**
क. कर-राजस्व	**8584**
आय व व्यय पर कर	1583
सम्पत्ति तथा पूंजीगत लेनदेनों पर कर	210
वस्तुओं व सेवाओं पर कर	6791
ख.गैर कर-राजस्व	**2081**
ब्याज प्राप्तियां, लाभांश व लाभ	272
सामान्य सेवाएं	131
सामाजिक सेवाएं	231
आर्थिक सेवाएं	1447
ग. सहायता अनुदान एवं अंशदान	**7178**
सकल राजस्व प्राप्तियां	**17843**

2.2.2 राजस्व प्राप्तियों का रूझान

(₹ करोड़ में)

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
कर राजस्व	5358 *(10)*	6107 *(10)*	6908 *(10)*	7612 *(9)*	*8584* *(9)*
गैर कर-राजस्व	1695 *(3)*	1915 *(3)*	1377 *(2)*	1785 *(2)*	2081 *(2)*
सहायता अनुदान	5658 *(11)*	6521 *(10)*	7313 *(10)*	6314 *(8)*	7178 *(8)*
कुल राजस्व प्राप्तियां	**12711** ***(24)***	**14543** ***(23)***	**15598** ***(22)***	**15711** ***(19)***	**17843** ***(19)***
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	52426	63084	72076	82585	95587

टिप्पणी : लघु कोष्ठक में दिए गए आंकडे सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता को दर्शाते हैं ।

हांलाकि वर्ष 2014-15 में पिछले वर्ष के मुकाबले सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 16 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई, राजस्व संग्रहण में बढोतरी केवल 14 *प्रतिशत* ही थी । कर राजस्व 13 *प्रतिशत* तक बड़ा जबकि गैर कर-राजस्वों में 17 *प्रतिशत* तक की वृद्धि

देखी गयी तथा सहायता अनुदान में पिछले वर्ष के मुकाबले 14 *प्रतिशत* की वृद्वि देखी गयी। बिक्री, व्यापार आदि,पर कर, बिजली, बिद्युत कर तथा शुल्क, राज्य उत्पाद शुल्क, सेवा कर, निगम कर से भिन्न आय पर कर के अन्तर्गत कर संग्रहण में अत्याधिक वृद्वि देखी गयी।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में राजस्व प्राप्तियों के घटक

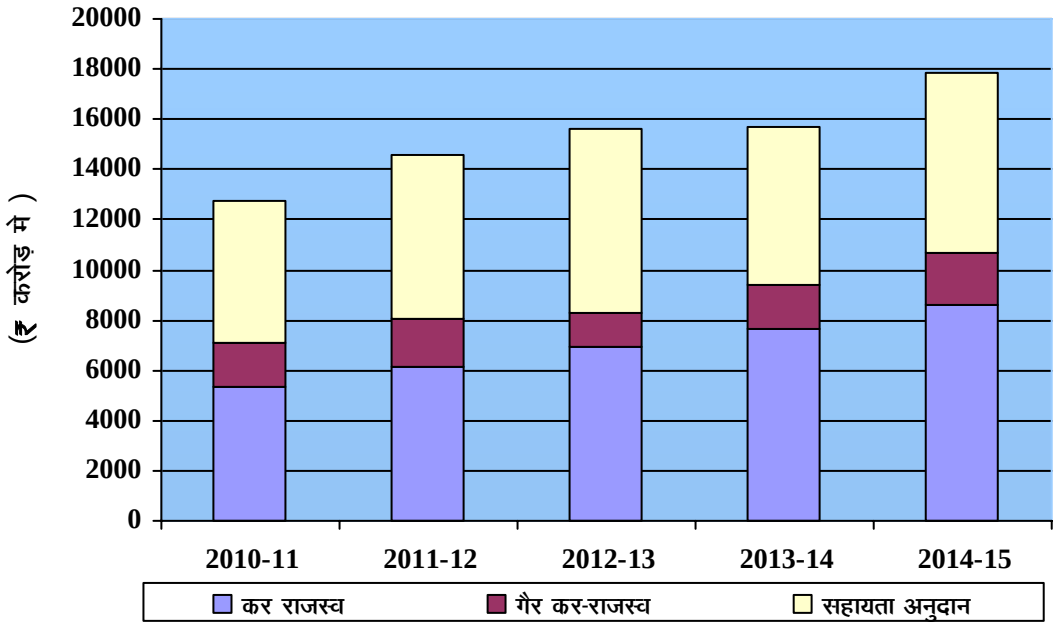

2.3 कर राजस्व

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र वार राजस्व प्राप्तियां					
	2010-11	**2011-12**	**2012-13**	**2013-14**	**2014-15**
आय व व्यय पर कर	1025	1186	1310	1390	1583
सम्पत्ति तथा पूंजीगत लेनदेनों पर व्यय	139	176	198	200	210
वस्तुओं व सेवाओं पर कर	4194	4745	5400	6022	6791
सकल कर राजस्व	**5358**	**6107**	**6908**	**7612**	**8584**

वर्ष 2014-15 में सकल कर राजस्व में बढोतरी मुख्यत: बिक्री व्यापार आदि पर कर (₹ 519 करोड़), बिद्युत कर तथा शुल्क (₹141), राज्य उत्पाद शुल्क (₹92 करोड़), निगम कर को छोड़ आय पर कर (₹108 करोड़) के अधिक संग्रहण के कारण हुई।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में मुख्य करों का रूझान

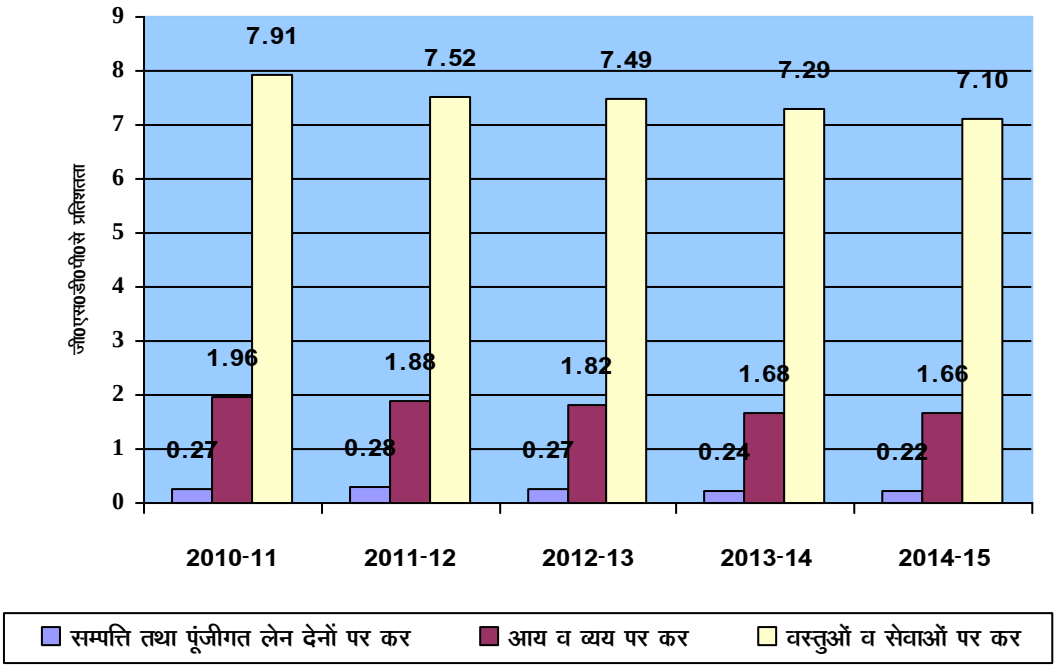

2.3.1 राज्य का निजी कर तथा संघीय करों में राज्य का अंश

राज्य सरकार को कर राजस्व मुख्यतः दो स्त्रोतों से आता हैं :- राज्य का निजी कर संग्रहन तथा संघीय करों में राज्य का अंश।

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कर राजस्व	संघीय करों में राज्य का अंश	राज्य द्वारा निजी कर	
			कर राजस्व	जी0एस0डी0पी0से प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2010-11	5358	1715	3643	6.95
2011-12	6107	1999	4108	6.51
2012-13	6908	2282	4626	6.42
2013-14	7612	2491	5121	6.20
2014-15	8584	2644	5940	6.21

निम्न तालिका में पिछले पांच वर्षो के दौरान कर राजस्व के दो मुख्य स्त्रोतों की आय को दर्शाया गया हैः-

(₹ करोड़ में)

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
राज्य का निजी कर संग्रहन	3643	4108	4626	5121	5940
संघीय करों में राज्य का अंश	1715	1999	2282	2491	2644
सकल कर राजस्व	**5358**	**6107**	**6908**	**7612**	**8584**
सकल कर राजस्व में राज्य के निजी कर का प्रतिशत	*68*	*67*	*67*	*67*	*69*

राज्य के अपने कर संग्रहण के अनुपात में कुल कर राजस्व वर्ष 2010-11 से बढोतरी दर्शा रहा था परन्तु वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान इसमें 67 *प्रतिशत* की तटस्थता दर्शायी गयी परन्तु वर्ष 2014-15 में बढ़ कर 69 *प्रतिशत* हो गया है।

2.3.2 पिछले पॉच वर्ष के दौरान राज्य के निजी*कर संग्रहन का रूझान*

(₹ करोड़ में)

कर	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1. बिक्री, व्यापार आदि पर कर	2101	2477	2728	3141	3660
2. राज्य आबकारी शुल्क	562	707	810	952	1044
3. वाहनों पर कर	163	176	196	208	220
4. स्टाप और पंजीकरण शुल्क	133	155	173	187	191
5. विद्युत सेवाओं पर कर	302	185	263	191	333
6. भूमि राजस्व	5	18	24	10	17
7. वस्तुओं एवं यात्रियों पर कर	93	94	101	105	110
8. अन्य कर	284	296	331	327	365
सकल राज्य का निजी कर	**3643**	**4108**	**4626**	**5121**	**5940**

2.4 कर वसूली में दक्षता

(₹ करोड़ में)

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1. बिक्री, व्यापार आदि पर कर					
राजस्व वसूली	2101	2477	2728	3141	3660
संग्रहण पर व्यय	3	5	3	11	3
कर वसूली में दक्षता	0.14 %	0.20 %	0.12 %	0.35%	0.08%
2. राज्य आबकारी शुल्क					
राजस्व वसूली	562	707	810	952	1044
संग्रहण पर व्यय	3	3	3	3	4
कर वसूली में दक्षता	0.53 %	0.42 %	0.37 %	0.32%	0.38%
3. वाहन, वस्तुओं एवं यात्रियों पर कर					
राजस्व वसूली	256	270	297	313	330
संग्रहण पर व्यय	24	25	30	32	37
कर वसूली में दक्षता	9.38 %	9.26 %	10.10 %	10.22%	11.21%
4. स्टांप तथा पंजीकरण शुल्क					
राजस्व वसूली	133	155	173	187	191
संग्रहण पर व्यय	1	1	1	1	2
कर वसूली में दक्षता	0.75 %	0.65 %	0.58 %	0.53%	1.05%

अन्य करों के मुकाबले वाहनों पर कर, वस्तुओं एवं यात्रियों पर कर के संग्रहण पर व्यय अत्यधिक था।

2.5 संघीय करों में राज्य के अंश में पिछले पांच वर्षों का रूझान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
निगम कर	671	787	820	838	923
निगम कर के अतिरिक्त आय	354	400	491	552	659
सम्पत्ति कर	1	3	1	2	3
सीमा शुल्क	300	347	379	406	428
संघीय आबकारी शुल्क	218	224	258	287	241
सेवा कर	171	238	333	406	390
संघीय करों में राज्य का अंश	**1715**	**1999**	**2282**	**2491**	**2644**
कुल कर राजस्व	**5358**	**6107**	**6908**	**7612**	**8584**
संघीय करों से कुल कर राजस्व की प्रतिशतता	32	33	33	33	31

2.6 सहायता अनुदान

सहायता अनुदान भारत सरकार से प्राप्त सहायता राशि को अभिव्यक्त करते हैं तथा इसमें योजना आयोग द्वारा अनुमोदित राज्य योजना स्कीमों, केन्द्रगत योजना स्कीमों तथा केन्द्रगत प्रायोजित स्कीमों के अन्तर्गत प्रदत्त अनुदान तथा वित्त आयोग द्वारा संस्तुत किए गए राज्य गैर-योजना अनुदान समाहित हैं वर्ष 2014-15 के दौरान सहायता-अनुदान के अधीन कुल प्राप्तियां ₹7178 करोड़ थी, जैसा निम्न दर्शाया गया है :-

सहायता अनुदान

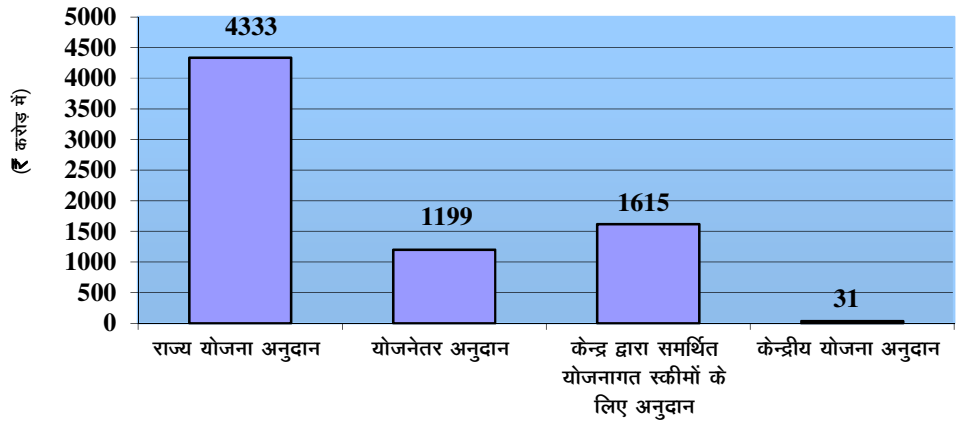

सकल सहायता अनुदानों में गैर-योजना अनुदानों के भाग में वर्ष 2013-14 में 32 प्रतिशत से वर्ष 2014-15 में 17 प्रतिशत की गिरावट आई जबकि योजनागत स्कीमों हेतु अनुदानों के उसी भाग में वर्ष 2013-14 और 2014-15 में के दौरान इसमें तटस्थता रही (60 प्रतिशत)। योजनागत स्कीमों में संघीय-भाग के ₹5103 करोड़ के बजट प्राक्लन के मुकाबले में राज्य सरकार ने वास्तव में सहायता अनुदानों के रूप में ₹4333 करोड़ (बजट प्राकलन का 85 प्रतिशत) प्राप्त किये ।

2.7 लोक ऋण

पिछले पांच वर्षों में लोक ऋण का रूझान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
आन्तरिक ऋण	17694	18563	19747	22099	24658
केन्द्रीय ऋण	960	947	1018	1012	1071
कुल जोड़	18654	19510	20765	23111	25729

वर्ष 2014-15 में ₹2345 करोड़ के दस ऋण 8.08 *प्रतिशत* से 9.63 *प्रतिशत* की ब्याज की दर से खुला-बाजार से लिए गए थे जो 2024-25 में प्रतिदेय है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने वित्तीय संस्थानों से ₹444 करोड़ तथा राष्ट्रीय लघु बचत

निधि (एन0एस0एस0एफ) से ₹1102 करोड़ का ऋण लिया था। भारतीय रिजर्व बैंक से ₹4193 करोड़ आर्थोपाय अग्रिम (₹4193 करोड़ सामान्य आर्थोपाय अग्रिम तथा ₹2667 करोड़ का ओवर ड्राफ्ट लिया गया) इस प्रकार वर्ष 2014-15 में कुल आन्तरिक ऋण ₹10752 करोड़ लिया गया। सरकार ने ऋणों तथा अग्रिमों के रूप में भारत सरकार से ₹125 करोड़ का ऋण भी प्राप्त किया।

अध्याय III

व्यय

3.1 भूमिका

व्यय को राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया गया है । राजस्व व्यय का उपयोग सरकारी तंत्र के दैनिक कार्य-संचालन के लिए किया जाता है । पूंजीगत व्यय को स्थायी परिसम्पत्तियों के सृजन अथवा ऐसी परिसम्पत्तियों की उपयोगिता में वृद्धि या स्थायी दायित्वों को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है । व्यय को और आगे योजनागत तथा योजनेतर के अधीन वर्गीकृत किया गया ।

सरकारी लेखों में व्यय को मुख्यतः तीन खण्डों में बांटा जा सकता हैः- सामान्य सेवाएँ, सामाजिक सेवाएँ तथा आर्थिक सेवाएँ। इन खण्डों के अन्तर्गत आने वाले मुख्य क्षेत्रों में व्यय को निम्न तालिका में दर्शाया गया हैः-

सामान्य सेवाएं	न्याय, पुलिस, जेल, लोक निर्माण, ब्याज, पैन्शन इत्यादि
सामाजिक सेवाएं	शिक्षा, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण, जल वितरण इत्यादि
आर्थिक सेवाएं	कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई, सहकारिता, ऊर्जा, उद्योग , परिवहन इत्यादि

3.2 राजस्व व्यय

बजट प्राक्कलनों के सम्मुख राजस्व व्यय के आधिक्य, जो बिगत पाँच वर्षों के दौरान हुआ, को नीचे दर्शाया गया है:-

(₹ करोड़ में)

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
बजट प्राक्कलन	12093	14042	15969	17647	19784
वास्तविक आंकड़े	13946	13898	16174	17352	19787
अन्तर	1853	(-)144	205	(-)295	(+) 3
बजट प्राक्कलनों से वास्तविक आंकड़ों की प्रतिशतता	15	(-)1	1	(-)2	--

राजस्व व्यय का लगभग 76 प्रतिशत वेतन व मजदूरी (₹8418 करोड़), ब्याज भुगतान (₹2849 करोड़), पैंशन (₹2914 करोड़), उपदान (₹801 करोड़) तथा मजदूरी (₹223 करोड़) पर किया गया जो कि राज्य सरकार की ‘ प्रतिबद्ध व्यय’ थी।

पिछले पाँच वर्षों में प्रतिबद्ध और अप्रतिबद्ध राजस्व व्यय की स्थिति इस प्रकार है:-

(₹ करोड़ में)

घटक	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
कुल राजस्व व्यय	13946	13898	16174	17352	19787
प्रतिबद्ध राजस्व व्यय #	9880	11027	12939	13348	14982
कुल राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध राजस्व व्यय का प्रतिशत	*71*	*79*	*80*	*77*	*76*
अप्रतिबद्ध राजस्व व्यय	4066	2871	3235	4004	4805

प्रतिबद्ध राजस्व ब्याज में वेतन व मजदूरी, ब्याज भुगतान पैंशन तथा अनुदान सम्मिलित हैं।

यह देखा गया है कि विभिन्न स्कीमों के क्रियान्वयन हेतु उपलब्ध अप्रतिबद्ध राजस्व व्यय में वर्ष 2014-15 के दौरान तीव्रता से कमी हुई राजस्व व्यय में वर्ष 2010-11 से ₹13946 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014-15 में ₹19787 करोड़ तक 42 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई तथा उसी अवधि के दौरान प्रतिबद्ध राजस्व व्यय में 52 *प्रतिशत* तक का आवर्धन हुआ।

3.2.1 राजस्व व्यय का क्षेत्र वार विवरण (2014-15)

(₹ करोड़ में)

घटक	राशि	प्रतिशतता
क. राज्य के अंग	**232**	**1**
ख. राजकोषीय सेवाएं	**231**	**1**
(i) सम्पत्ति व पूंजीगत लेन-देनों पर करों का संग्रहण	184	1
(ii) वस्तुओं और सेवाओं पर करों का संग्रहण	46	--
(iii) अन्य राजकोषीय सेवाएं	1	--
ग. ब्याज भुगतान तथा ऋण सेवा	**2849**	**14**
घ. प्रशासनिक सेवाएं	**1354**	**7**
ड. पैन्शन तथा विविध सामान्य सेवाएं	**2938**	**15**
च. सामाजिक सेवाएं	**7451**	**38**
छ. आर्थिक सेवाएं	**4723**	**24**
ज. सहायता अनुदान	**9**	**--**
कुल व्यय (राजस्व लेखा)	**19787**	**100**

3.2.2 राजस्व व्यय के मुख्य घटक 2010-11 से 2014-15

राजस्व व्यय के मुख्य घटको का रूझान

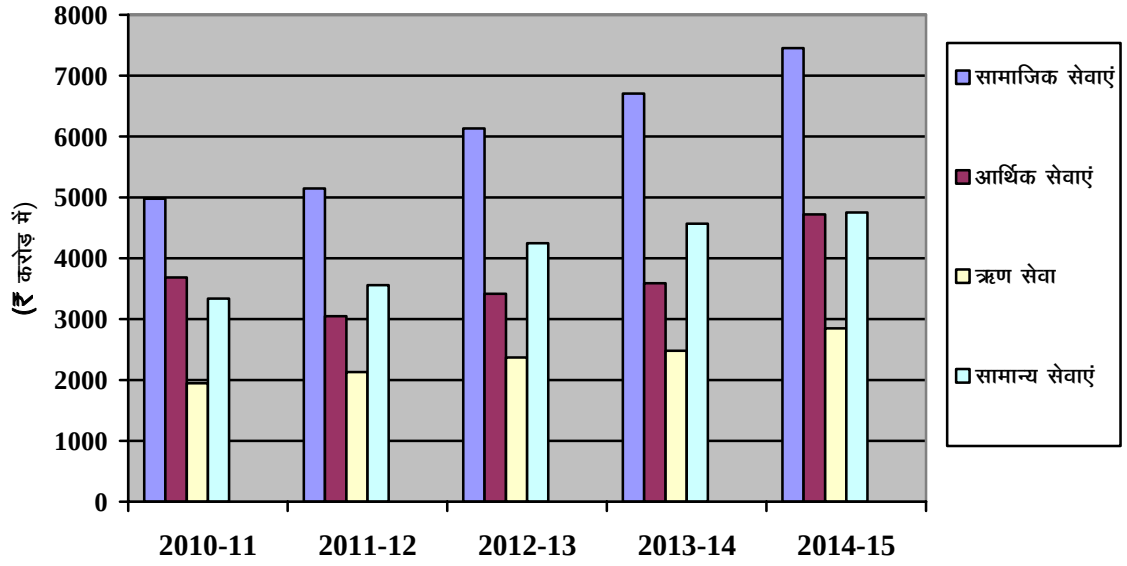

सभी क्षेत्रों में हुए व्यय ने बढ़ता हुआ रूझान दिखाया है।

3.3 पूंजीगत व्यय

पूंजीगत व्यय महत्वपूर्ण है यदि वृद्धि प्रक्रिया लगातार बने रहती है। वर्ष 2014-15 में ₹2473 करोड़ के पूंजीगत संवितरण (जी एस डी पी के 3 *प्रतिशत*) बजट प्राक्कलनों से ₹521 करोड़ अधिक थे (योजनागत व्यय के अन्तर्गत ₹506 करोड़ का अधिक संवितरण तथा योजनेतर व्यय के अधीन ₹15 करोड़ का अधिक व्यय)। वर्ष 2010-11 से पूंजीगत व्यय ने सकल राज्य घरेलू उत्पाद के समान्तर वृद्धि नही की तथा लगभग स्थिर रही। नीचे सारणी से यह प्रतीत होता है :-

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	घटक	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1	बजट प्राक्कलन	1760	1498	1970	2063	1952
2	वास्तविक व्यय (#)	1789	1810	1955	1856	2473
3	बजट प्राक्कलनों से वास्तविक व्यय की प्रतिशतता	102	121	99	90	127
4	पूंजीगत व्यय में वार्षिक बढौतरी	(-)8%	1%	8%	(-)5%	33%
5	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	52426	63084	72076	82585	95587
6	सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वार्षिक बढौतरी	24%	20%	14%	15%.	16%

पूंजीगत परिव्यय में ऋणों तथा अग्रिमों का व्यय सम्मिलित नहीं है।

3.3.1 पूंजीगत व्यय का क्षेत्र-वार विवरण

2014-15 के दौरान सरकार द्वारा विभिन्न सिचाई परियोजनाओं पर ₹154 करोड़ का व्यय किया गया। (मध्यम सिंचाई पर ₹31 करोड़ लघु सिंचाई पर ₹123 करोड़)। उपरोक्त के अलावा सरकार ने सड़कों तथा भवनों के निर्माण पर ₹836 करोड़ का खर्च किया तथा सांविधिक निगमों/बोर्डों में ₹98.49 करोड़ ,सरकारा तथा अन्य कम्पनि में ₹260.30 करोड़, तथा अन्य सहकारी समितियों में ₹0.42 करोड़, का निवेश किया। वर्ष के दौरान सहकारी बैंक के द्वारा ₹0.38 करोड़, सहकारी समितियों के द्वारा ₹2.02 करोड़, की शेयर पूंजी का विमोचन किया गया।

3.3.2 पूंजीगत तथा राजस्व व्यय का क्षेत्रवार विवरण

विगत पांच वर्षो में पूंजीगत तथा राजस्व व्यय का तुलनात्मक क्षेत्रवार विवरण निम्न दिया गया है:-

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	**खण्ड**		**2010-11**	**2011-12**	**2012-13**	**2013-14**	**2014-15**
1	क. सामान्य सेवाएं	पूंजीगत	73	73	74	81	83
		राजस्व	5279	5690	6618	7047	7604
2	ख. सामाजिक सेवाएं	पूंजीगत	611	372	436	477	522
		राजस्व	4979	5147	6131	6706	7451
3	ग. आर्थिक सेवाएं	पूंजीगत	1104	1365	1445	1297	1868
		राजस्व	3682	3049	3418	3590	4723
4	घ. सहायता अनुदान एवं अंशदान	पूंजीगत	--	--	--	--	--
		राजस्व	6	12	7	9	9

अध्याय IV

योजनागत तथा योजनेतर व्यय

4.1 व्यय का वितरण

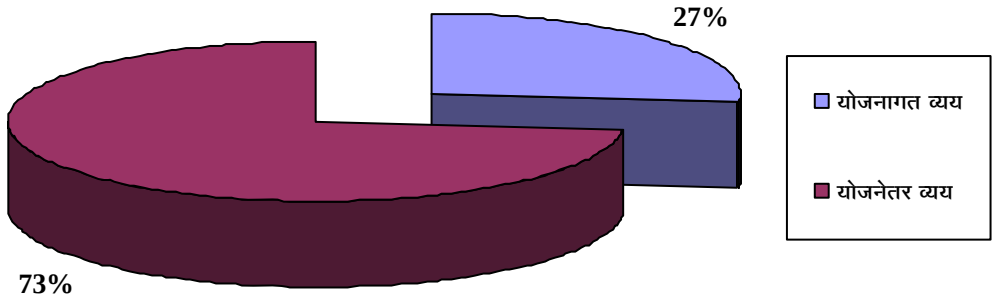

4.2 योजनागत व्यय

वर्ष 2014-15 के दौरान योजनागत व्यय (राजस्व एवं पूंजीगत) ₹6088 करोड़ था जोकि कुल व्यय ₹22734 करोड़ का 27 प्रतिशत है, जिसमें राज्य योजना के अन्तर्गत ₹3761 करोड़ केन्द्रीय प्रायोजित/केन्द्रीय योजना ₹1874 करोड़ एवं ऋण व अग्रिम ₹453 करोड़ है ।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद तथा सकल व्यय में योजनागत व्यय की प्रतिशतता

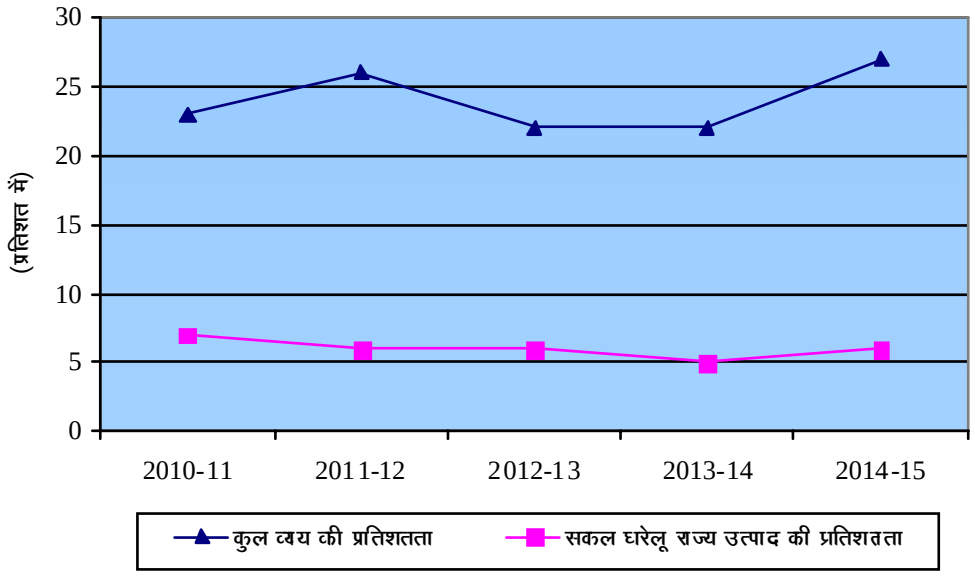

राजस्व-क्षेत्र के अधीन योजनागत व्यय में 2013-14 में ₹2387करोड़ से वर्ष 2014-15 में ₹3204 करोड़,, 34 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। पूंजीगत क्षेत्रों में यह वृद्धि वर्ष 2013-14 में ₹2025 करोड़ से वर्ष 2014-15 में ₹2947 करोड़ तक 46 *प्रतिशत* रही, केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों/केन्द्रीय योजना (राजस्व ₹1439 करोड़ तथा पूंजीगत ₹435 करोड़) में योजनागत व्यय पर वर्ष 2013-14 में ₹449 करोड़ से वर्ष 2014-15 में ₹1874 करोड़ की वृद्धि हुई।

4.2.1 पूंजीगत लेखे के अन्तर्गत योजनागत व्यय

(₹ करोड़ में)

	2010-11	**2011-12**	**2012-13**	**2013-14**	**2014-15**
कुल पूंजीगत व्यय	2016	2303	2424	2387	2947
पूंजीगत व्यय (योजनागत)	1996	2242	2020	2025	2884
कुल पूंजीगत व्यय से पूंजीगत व्यय (योजनागत) की प्रतिशतता	99	97	83	85	98

4.2.2 पूंजीगत ऋणों तथा अग्रिमों पर योजनागत व्यय

ऋणों व अग्रिम के अन्तर्गत महत्वपूर्ण संवितरण निम्न प्रकार से है :

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	**राशि**	**उद्देशय**
6425 सहकारिता के लिए ऋण	44	मार्केटिंग गतिविधियों को सुदृढ़ करने के लिए ऋण
6801 विद्युत परियोजनाओं हेतु ऋण	404	क्लीन ऐनर्जी विकास परियोजना के लिए ऋण
6885 उद्योगों एवं खनिजों पर अन्य ऋण	17	राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूतित हि0 प्र0 वि0 अ0 के बॉड शेधन स्वरूप

4.3 आयोजनेतर व्यय

वर्ष 2014-15 का आयोजनेतर व्यय ₹16646 करोड़ (राजस्व के अन्तर्गत ₹16583 करोड़ तथा पूंजीगत के अंतर्गत ₹63 करोड़) जो कि सकल संवितरण ₹22734 करोड़ का 73 *प्रतिशत* था। आयोजनेतर व्यय में पूंजीगत के अन्तर्गत ₹21 करोड़ ऋण तथा अग्रिम के रूप में किया गया वितरण शामिल है । वेतन तथा मजदूरी पर खर्च ₹8418 करोड़ कुल आयोजनेतर व्यय का 51 *प्रतिशत* है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद तथा सकल व्यय में आयोजनेतर व्यय की प्रतिशतता

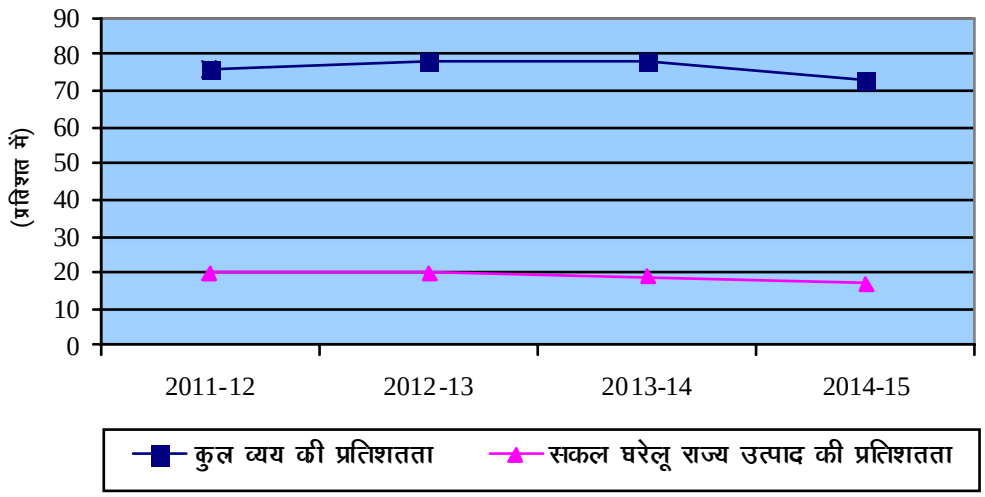

4.4 प्रतिबद्ध व्यय

वर्ष 2014-15 के दौरान पिछले वर्ष के मुकाबले वेतन, पैंशन तथा ब्याज पर व्यय में वृद्धि हुई जो मुख्यतः वेतन तथा पैंशन के पुनर्निर्धारण के कारण हुई।

प्रतिबद्ध व्यय का रूझान

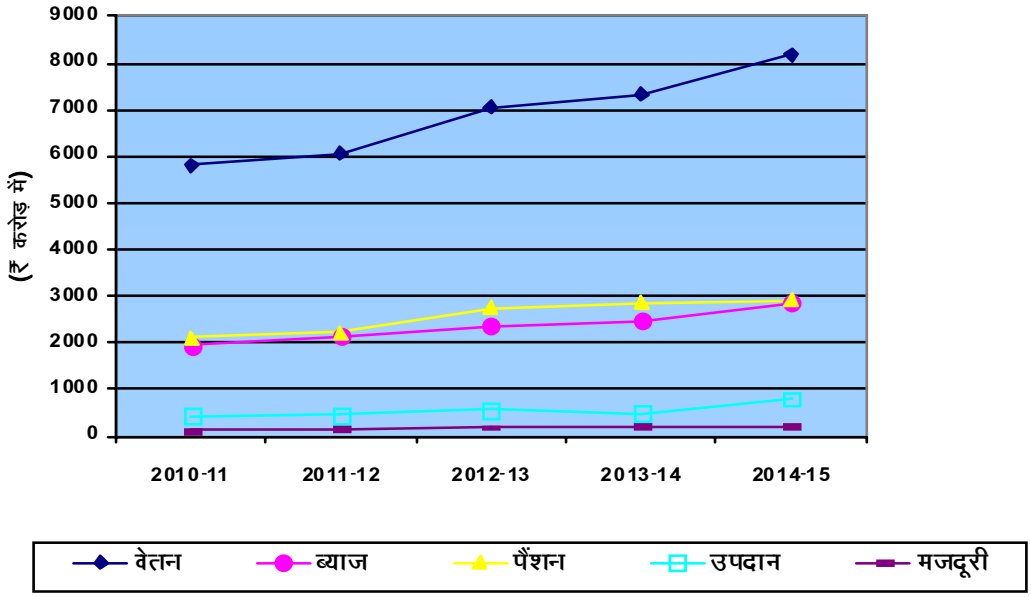

विगत पाँच वर्षों में राजस्व व्यय तथा राजस्व प्राप्तियों में प्रतिबद्ध व्यय के साथ तुलनात्मक रूझान निम्न प्रकार से है।

(₹ करोड़ में)

घटक	**2010-11**	**2011-12**	**2012-13**	**2013-14**	**2014-15**
प्रतिबद्ध व्यय	10318	11027	12939	13348	14982
राजस्व व्यय	13946	13898	16174	17352	19787
राजस्व प्राप्तियां	12711	14543	15598	15711	17843
कुल राजस्व प्राप्तियों से वचनबद्ध व्यय की प्रतिशतता	81	76	83	85	84
कुल राजस्व व्यय से वचनबद्ध व्यय की प्रतिशतता	74	79	80	77	76

वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक प्रतिबद्ध व्यय में बढोतरी 45 *प्रतिशत* रही, जबकि उसी समय में राजस्व व्यय में बढोतरी 42 *प्रतिशत* रही जिस कारण विकास कार्यों पर व्यय हेतु सरकार द्वारा कम धन उपलब्ध रहा ।

अध्याय V

विनियोजन लेखे

5.1 वर्ष 2014-15 के लिए विनियोजन लेखों का सारांश

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	व्यय का स्वरूप	मूल अनुदान	पूरक अनुदान	पुनर्विनियोजन	कुल बजट	वास्तविक व्यय	बचत (-) आधिक्य (+)
1.	राजस्व						
	दत्तमत	18878	1299	1661	18516	16893	(-)1623
	प्रभारित	2795	2	61	2736	2894	+158
2.	पूंजीगत						
	दत्तमत	1976	582	35	2523	2450	(-)73
	प्रभारित	0	23	0	23	23	0
3.	लोक ऋण						
	प्रभारित	1511	5782	0	7293	8260	+967
4.	ऋण एवं अग्रिम दत्तमत	383	65	61	387	474	+87
5.	योग	25543	7753	1818	31478	30994	(-)484

5.2 विगत पांच वर्षों में बचत /आधिक्य का रुझान

(₹ करोड़ में)

बचत (-)आधिक्य (+)					
वर्ष	राजस्व	पूंजीगत	लोक ऋण	ऋण एवं अग्रिम	कुल
2010-11	(+) 321	(-) 158	(-) 10	(+) 135	(+) 289
2011-12	(-) 914	(-) 57	(+) 30	(+) 131	(-)809
2012-13	(-) 1169	(-) 41	(+) 180	(+) 94	(-) 937
2013-14	(-)1670	(-)70	(-)220	(+)81	(-)1879
2014-15	(-)1465	(-)73	(+)967	(+)87	(-)484

5.3 महत्वपूर्ण बचतें

अनुदान के अधीन पर्याप्त बचत, कुछ निश्चित स्कीमों/कार्यक्रमों के अक्रियान्वयन या धीमें क्रियान्वयन को दर्शाती है।

निरन्तर तथा महत्वपूर्ण बचत वाले एक करोड़ से अधिक कुछ अनुदानों का ब्यौरा इस प्रकार है :-

(₹ करोड़ में)

अनुदान मांग	स्वरूप	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
3	न्याय प्रशासन	19	18	15	17	6
4	सामान्य प्रशासन	--	16	4	--	12
5	भू-राजस्व और जिला प्रशासन	--	66	27	--	36
6	पुलिस और सम्बन्ध संगठन	--	35	3	22	10
7	शिक्षा	64	--	120	343	385
8	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	--	22	64	117	158
9	लोक निर्माण कार्य-सड़के, पुल तथा भवन	--	--	45	77	18
10	पशुपालन , डेरी विकास एवं मत्स्य	--	--	--	17	7
11	योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उपयोजना	35	--	19	22	12
12	वन और वन्य जीवन	--	--	10	7	3
13	उद्योग, खनिज, आपूर्ति एवं सूचना प्रद्यौगिका	--	--	--	12	5
14	ग्रामीण विकास	--	--	--	60	110
15	सहकारिता	--	--	--	4	5
16	खाद्य और नागरिक आपूर्ति	26	--	--	11	28
18	विद्युत विकास	--	--	40	283	--
19	श्रम, रोजगार एवं प्रशिक्षण	--	--	--	79	62
20	वित्त	238	--	38	496	587
21	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	--	39	33	72	13
22	अनुसूचित जाति उपयोजना	11	16	84	107	26
23	शहरी विकास नगर एवं ग्राम योजना तथा आवास	27	--	8	--	6

शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, ग्रामीण विकास, के अधीन निरन्तर व्यापक बचत, स्कीमों को क्रियान्वयन के दौरान कम-प्राथमिकता दिया जाना है, भले ही उन्हें विद्यायिका द्वारा अनुमोदित किया गया है। यह बजट-प्राकलन में बढौतरी करके या अपने राजकोषीय घाटे को सीमा के अन्दर रखने हेतू सरकार की इच्छा के परिपेक्ष में हो सकता है।

वर्ष 2014-15 के दौरान अनुपूरक अनुदान की कुल राशि ₹7753 करोड़ (कुल व्यय का 25.01 *प्रतिशत*) कुछ मामलों में अनावश्यक सिद्ध हुई। वर्ष के अन्त में मूल बजट के विरूद्ध हुई बचत के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैः-

(₹ करोड़ में)

अनुदान मांग	नामावली	प्रवर्ग	मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय
05	2702- लघु सिंचाई- 80- सामान्य- 800- अन्य व्यय- 07- सिंचाई आँकड़ों की सुधार योजना- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना	राजस्व	--	96	85
07	2055- पुलिस- 115- पुलिस बल का आधुनिकीकरण- 02- सुरक्षा संबधी व्यय - केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजनेतर	राजस्व	--	49	24
09	2059- लोक निर्माण *01- कार्यालय भवन-* 053- मरम्मत और रखरखाव- 52- इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के भवन की मरम्मत- योजनागत	राजस्व	131	--	96
10	3054- सड़कें एवं पुल- 03- राज्य उच्चमार्ग- 103- अनुरक्षण एवं मरम्मत 15- तेरहवें वित्त आयोग के अर्न्तगत सड़कों के रख रखाव पर व्यय- योजनेतर	राजस्व	5915	--	5824
10	3054- सड़क तथा सेतु- *04- जिला तथा अन्य सड़कें-* 105- रख रखाव तथा मरम्मत- 02- अन्य रख रखाव व्यय- सड़क निर्माण कार्य- योजनेतर	राजस्व	1577	--	1458
12	2401- फसल कृषि कर्म- 119- बागवानी तथा वनस्पति फसलें- 22- विपणन और गुणवत्ता नियन्त्रण- योजनेतर(प्रभारित)	राजस्व	--	62	--

(₹ करोड़ में)

अनुदान मांग	नामावली	प्रवर्ग	मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय
13	2700- मुख्य सिंचाई- *01- शाह नहर परियोजना (गैर वाणिज्यिक)* 799- उचंत- 02- स्टाक विनिर्माण- योजनागत	राजस्व	184	--	72
13	4215- जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय- *01- जलापूर्ति-* 101- शहरी जलापूर्ति- 01-विभिन्न जिलों में शहरी जलापूर्ति योजनाएं- योजनागत(प्रभारित)	पूंजीगत	--	69	37

अनुपूरक अनुदान के आबंटन के बाबजूद भी वर्ष के अन्त में व्यय के आधिक्य के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैः-

(₹ करोड़ में)

अनुदान मांग	नामावली	प्रवर्ग	मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय
06	3604- स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्त्ति तथा समनुदेशन- 107-स्थानीय क्षेत्रों में माल लाने पर कर- 02- पंचायतों/ग्रामीण निकायों को सहायता अनुदान- योजनेतर	राजस्व	2	3	6
18	4851- ग्रामीण तथा लघु उधोगों पर पूंजीगत व्यय- 101- औद्योगिक क्षेत्र- 02- आदर्श उद्योग क्षेत्र का सृजन- योजनागत	पूंजीगत	--	6	9
18	6885- उद्योगों तथा खनिज के लिए अन्य कर्ज- 01- औधोगिक वित्तीय संस्थाओं को ऋण- 190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को ऋण- 01- हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम को ऋण- योजनेतर	ऋण	--	16	17
23	2801- विद्युत- *80- सामान्य-* 101- विद्युत बोर्ड को सहायता- 02- ब्याज उपदान- योजनेतर	राजस्व	--	55	56
29	6003- राज्य सरकार का आंतरिक ऋण- 110- भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम- 03- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शार्टफाल तथा ओवर ड्राफ्ट- योजनेतर	लोक ऋण	--	2219	2590

₹31.75 करोड़ के व्यय के 20 मामलो को, जिनमें निधियाँ, विधायिका को दरकिनार करते हुये अर्थात मूल/अनुपूरक बजट की बजाय पुनर्विनियोजन द्वारा सिधे आबंटित कर दी गयी थी, निम्नलिखित हैः-

(₹ करोड़ में)

अनुदान मांग	नामावली	प्रवर्ग	मूल	अनुपूरक	पुनर्विनि-योजन	वास्तविक व्यय
07	4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय- 800- अन्य व्यय- 01- गृह रक्षक विभाग के कार्यालय भवनों का निर्माण- योजनागत	पूंजीगत	--	--	1.30	1.30
08	2202- सामान्य शिक्षा- *80- सामान्य-* 107- छात्रवृत्तियाँ- 09- अन्य पिछड़े वर्गो के छात्रों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्तियाँ- योजनागत	राजस्व	--	--	0.25	0.25
11	2401- फसल कृषि-कर्म- 109- कृषकों को प्रशिक्षण तथा विस्तार- 25- सामान्य कृषि विस्तार कार्यक्रम- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजनागत	राजस्व	--	--	7.59	7.59
11	2401- फसल कृषि-कर्म- 113- कृषि अभियान्त्रिकी- 04- कृषि मशीनीकरण उपमिशन- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजनागत	राजस्व	--	--	0.80	0.78
11	2401- फसल कृषि-कर्म- 800- अन्य व्यय- 15- स्थाई कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन- केन्द्रीय योजना योजनागत	राजस्व	--	--	5.93	5.93
11	2401- फसल कृषि-कर्म- 800- अन्य व्यय- 15- स्थाई कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन- योजनागत	राजस्व	--	--	1.73	1.73
11	2810- नई तथा नवीकरणीय उर्जा- *01- बायो-उर्जा-* 103- बायो गैस- 01- गोबर गैस संयत्र की स्थापना- केन्द्रीय प्रायोजित योजना- योजनागत	राजस्व	--	--	0.17	0.17
12	2401- फसल कृषि-कर्म- 119- बागवानी तथा वनस्पति फसलें- 50- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना- (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) योजनागत	राजस्व	7.24	1.97	2.52	11.74

(₹ करोड़ में)

अनुदान मांग	नामावली	प्रवर्ग	मूल	अनुपूरक	पुनर्विनि-योजन	वास्तविक व्यय
19	2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण- *02- समाज कल्याण-* 103- महिला कल्याण- 11- बलात्कार पीड़ितों को सहायता सेवाएं- योजनागत	राजस्व	--	--	0.50	0.50
20	2515- ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम- *06- स्वरोजगार कार्यक्रम-* 800- अन्य व्यय- 04- एकीकृत जलागम प्रबंधन परियोजना- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजनागत	राजस्व	--	--	1.54	1.54
20	2501- ग्राम विकास के लिए अन्य कार्यक्रम- 102- सामुदायिक विकास- 21- निर्मल ग्राम पुरस्कार- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजनागत	राजस्व	--	--	0.15	0.15
22	3456- सिविल आपूर्ति- 001- निदेशन और प्रशासन- 04- उपभोक्ता जागरूकता- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजनागत	राजस्व	--	--	0.27	0.27
22	3456- सिविल आपूर्ति- 001- निदेशन और प्रशासन- 05- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्पयूटरीकरण- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजनागत	राजस्व	--	--	4.24	4.24
22	3456- सिविल आपूर्ति- 001- निदेशन और प्रशासन- 05- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्पयूटरीकरण- योजनागत	राजस्व	--	--	4.01	4.01
27	2230- श्रम तथा रोजगार- *02- रोजगार सेवाएं-* 101- रोजगार सेवाएं- 02- व्यवसायिक मार्गदर्शन तथा रोजगार परामर्श- योजनागत	राजस्व	--	--	0.08	0.08
27	2230- श्रम तथा रोजगार- *03- प्रशिक्षण-* 003- शिल्पकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण- 08- कौशल विकास प्रोत्साहन योजना- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजनागत	राजस्व	--	--	0.81	0.81

(₹ करोड़ में)

अनुदान मांग	नामावली	प्रवर्ग	मूल	अनुपूरक	पुनर्विनि-योजन	वास्तविक व्यय
28	2217- शहरी विकास- *03- छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास -* 192- नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता- 02- छोटे एवं मध्यम नगरों हेतु शहरी आधारिक संरचना विकास योजना- योजनागत	राजस्व	--	--	0.13	0.13
28	2217- शहरी विकास- *80- सामान्य-* 191- नगर निगमों को सहायता- 05- शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों हेतु राजीव गाँधी आवास योजना- योजनागत	राजस्व	--	--	0.50	0.50
31	4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय- *01- सामान्य शिक्षा-* 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना- 01- भवन निर्माण- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजनागत	पूंजीगत	--	--	0.08	0.08
32	2401- फसल कृषि कर्म- 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 39- खेत पर जल प्रबंधन योजना- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजनागत	राजस्व	--	--	0.38	0.38

अध्याय VI

परिसम्पतियां तथा दायित्व

6.1 परिसम्पतियां

लेखाओं का वर्तमान स्वरूप जमीन, भवन आदि जैसी सरकारी परिसम्पत्तियों के मूल्याकंन को, अर्जन/खरीद के विभेद के सिवाय, इतनी सुगमता से नहीं दर्शाता । इसी प्रकार जैसाकि लेखे चालू-वर्ष के प्रतिवद्धता के प्रभाव को प्रदर्शित करते है, पर वे भावी पीढी पर दायित्वों पर समग्र प्रभाव को चित्रित नहीं करते ।

गैर-वित्तीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी0एस0यू0) में शेयर-पूंजी के रूप में कुल निवेश, वर्ष 2014-15 के अन्त में ₹1910 करोड़ था। वर्ष के दौरान निवेश पर लाभांश ₹171 करोड़ (6 *प्रतिशत*) प्राप्त हुआ । वर्ष 2014-15 के दौरान निवेश में ₹293 करोड़ की कमी हुई तथा वर्ष में ₹650 करोड़ का विनिवेश किया गया जबकि लाभांश में ₹68 करोड़ की वृद्धि हुई।

भारतीय रिजर्व बैंक का नकदी शेष 01 अप्रैल 2014 को ₹(-)887 करोड़ था जो मार्च 2015 के अन्त तक घट़कर ₹(-)739 करोड़ हुआ। इसके अतिरिक्त वर्ष 2014-15 में सरकार ने 54 तात्कालिक अवसरो पर ₹5162 करोड़ खजाना बिलों में निवेश किया तथा 75 अवसरों पर ₹5162 करोड़ के मूल्य का पुनः बटटा चुकाया। नीचे दी गई सारणी में वर्ष 2014-15 के दौरान निवेश की स्थिति को दर्शाया गया है।

(₹ करोड़ में)

भारत सरकार के खजाना बिलों में नकदी शेष निवेश			
1 अप्रैल 2014 को शेष	2014-15 के दौरान खरीद	2014-15 के दौरान विक्रय	31 मार्च 2015 को अन्तिम शेष
--	5162	5162	--

6.2 ऋण तथा देनदारियाँ

भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 के अन्तर्गत राज्य सरकार को समेकित निधि की प्रतिभूति पर उधारी का अधिकार प्रदान किया गया है। भारत सरकार समय-समय पर यह निर्धारित करती है कि राज्य सरकार बाजार से किस सीमा तक उधारी कर सकती है। वर्ष 2014-15 के लिए सीमा ₹2345 करोड़ थी। वर्ष 2014-15 के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार ने खुले बाजार से ₹2345 करोड़ की उधारी की।

लोक ऋणों तथा राज्य सरकार के समस्त दायित्व का विवरण इस प्रकार है:-

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लोक ऋण	सकल घरेलू राज्य उत्पाद की प्रतिशतता	लोक ऋण (*)	सकल घरेलू राज्य उत्पाद की प्रतिशतता	कुल दायित्व	सकल घरेलू राज्य उत्पाद की प्रतिशतता
2010-11	18654	*36*	7759	*15*	26413	*50*
2011-12	19511	*31*	8717	*14*	28228	*45*
2012-13	20765	*29*	9677	*13*	30442	*42*
2013-14	23111	*28*	10773	*13*	33884	*41*
2014-15	25729	*27*	12463	*13*	38192	*40*

(*) उचन्त तथा सम्प्रेषण शेष रहित ।

टिप्पणीः आंकड़े वर्ष के अन्त के उतरोत्तर शेष है।

लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों के अन्तर्गत पिछले वर्ष में ₹4308 करोड़ (13 *प्रतिशत*) की शुद्ध बढ़ोतरी दर्शायी गयी।

सरकारी देनदारियों का रूझान

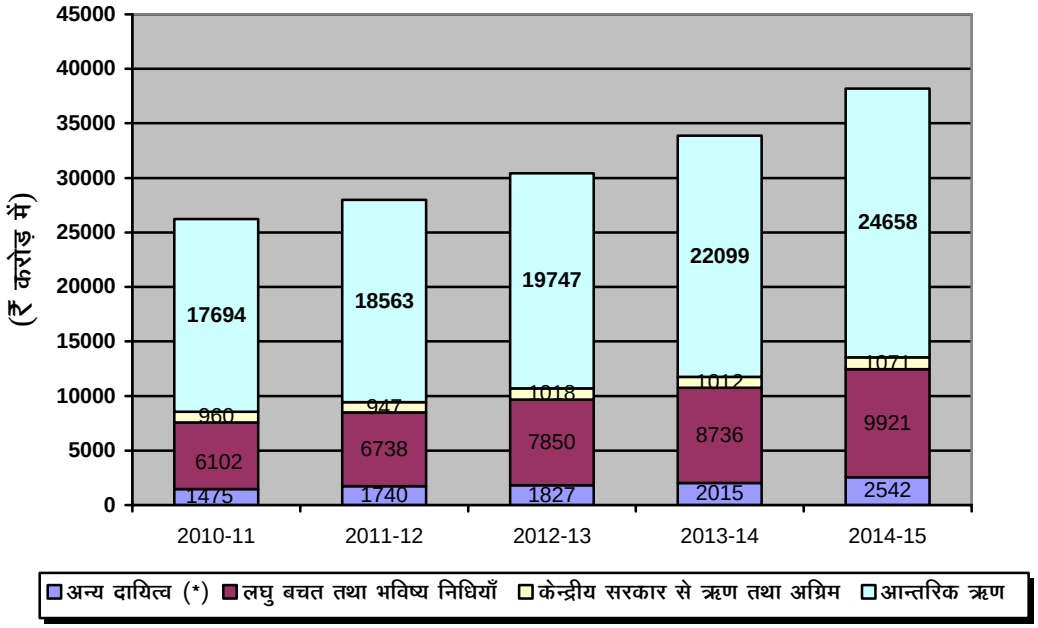

(*)स्थानीय निधियों, अन्य चिन्हित निधियों आदि के जमा जैसी ब्याज रहित बाध्यताएं।

6.3 प्रतिभूतियाँ

प्रत्यक्ष रूप से ऋण उठाए जाने के अतिरिक्त राज्य सरकारें विभिन्न योजनागत स्कीमों तथा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु बाजार तथा वित्तीय संस्थान से सरकारी कम्पनियों तथा निगम द्वारा लिए गए ऋणों की भी प्रतिभूति देती हैं। इन प्रतिभूतियों को राज्य बजट से बाहर प्रक्षेपित किया जाता है। वैद्यानिक निगम, सरकारी कम्पनियों, निगमों, सहकारी समितियों आदि द्वारा उठाए गए ऋणों (मूल-राशि तथा उस पर ब्याज की अदायगी) की वापसी हेतु राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रतिभूतियों की स्थिति नीचे दी गई है :-

(₹ करोड़ में)

वर्ष के अन्त तक	प्रत्याभूति अधिकतम राशि (मूलधन केवल)	वर्ष के अन्त तक बकाया राशि	
		मूलधन	ब्याज
2010-11	6232	3248	662
2011-12	6208	3316*	--
2012-13	9455	3353*	--
2013-14	9316	4333*	--
2014-15	9316	4281*	--

* मूलधन एवं ब्याज सम्मिलित है।

अध्याय VII

अन्य मदें

7.1 आन्तरिक ऋणों के अधीन प्रतिकूल शेष

राज्य सरकारों की उधारियां भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 के अन्तर्गत अधिशासित होती हैं। प्रत्यक्ष रूप से ऋण उठाए जाने के अतिरिक्त राज्य सरकारें विभिन्न योजनागत स्कीमों तथा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु बाजार तथा वित्तीय संस्थानों से सरकारी कम्पनियों तथा निगमों द्वारा लिए गए ऋणों की प्रतिभूति भी देती हैं जिसे राज्य बजट से बाहर प्रक्षेपित किया जाता है। इन ऋणों को सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों की प्राप्तियों के रूप में लिया जाता है तथा सरकार की किताबों में ये प्रकट नहीं होते। हालांकि ऋणों की वापसियों को सरकारी-लेखे में लिया जाता है जिसके परिणामतः सरकारी लेखाओं में असंगत प्रतिकूल शेष तथा दायित्वों की न्यून-तालिका प्रदर्शित होती रही हैं । 31 मार्च 2015 को हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के पक्ष में कोई प्रतिकूल शेष नहीं थे ।

7.2 राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण व अग्रिम

वर्ष 2014-15 के अन्त तक राज्य सरकार द्वारा कुल ₹2347 करोड़ के ऋण तथा अग्रिम प्रदान किए गए। इसमें से सरकारी निगमों/कम्पनियों, गैर सरकारी संस्थानों तथा स्वायत्त-निकायों को ₹1615 करोड़ की राशि के ऋण तथा अग्रिम दिए गए । 31 मार्च 2015 के अन्त में ₹80 करोड़ मूलधन की वसूली लम्बित थी। राज्य सरकार द्वारा ब्याज की राशि की वसूली से सम्बन्धित जानकारी प्रदान नही की गई थी। वर्ष 2014-15 के दौरान ऋणों तथा अग्रिमों की वसूली की प्राप्ति केवल ₹41 करोड़ ही हो पाई, जिसमें से ₹9 करोड़ की राशि सरकारी कर्मचारियों को दिए गए ऋणों की वापसी से सम्बन्धित है । बकाया ऋणों की वसूली हेतु उठाए जाने वाले प्रभावी कदम सरकार की राजकोषीय स्थिति को सुधारने में सहायता करेंगे।

7.3 स्थानीय निकायों तथा अन्य को वित्तीय सहायता

पिछले पांच वर्षो के दौरान स्थानीय निकायों आदि को दिए गए सहायता-अनुदानों में वर्ष 2010-11 में ₹849 करोड़ से वर्ष 2014-15 में ₹2156 करोड़ की वृद्धि हुई। जिला परिषदों, पंचायती राज संस्थानों तथा नगर-निगम व नगरपालिकाओं को दिए गए अनुदान (₹983 करोड़) वर्ष के दौरान दिए गए सकल अनुदानों का 46 प्रतिशत है।

पिछले पांच वर्षो के सहायता-अनुदानों का विवरण इस प्रकार है : -

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1	जिला परिषद एव पंचायती राज संस्था	256	264	262	327	781
2	नगर निगम एवं नगर पालिका	92	123	173	282	202
3	विश्वविद्यालय एवं शैक्षिक संस्थान	311	315	401	447	597
4	विकास एजेंसी	52	47	43	52	56
5	अस्पताल एवं अन्य धर्माथ संस्थानों	48	70	86	95	110
6	अन्य संस्थान	90	162	238	235	410
	जोड़	**849**	**981**	**1203**	**1438**	**2156**

7.4 रोकड शेष तथा रोकड़ शेष का निवेश

(₹ करोड़ में)

घटक	1अप्रैल 2014 की स्थिती	31 मार्च 2015 की स्थिती	निवल बढौतरी(+)/ कमी (-)
रोकड़ शेष	(-)887	(-)739	(+)148
रोकड़ शेष से निवेश (भारत सरकार के खजाना बिल)	--	--	--
चिन्हित निधियों से निवेश	--	--	--
(क) निक्षेप निधि	--	--	--
(ख) प्रत्याभूति विमोचन निधि	--	--	--
वर्ष के दौरान ब्याज वसूली	24	10	(-)14

सरकार के पास 31 मार्च 2015 के अन्त में नकारात्मक रोकड़ शेष पड़ा था । इन निवेशों पर ब्याज प्राप्तियों में (₹24 करोड़ से ₹10 करोड़) 58 प्रतिशत की गिरावट आई।

7.5 लेखाओं का समाधान

मुख्य नियन्त्रक अधिकारी/नियन्त्रक अधिकारियों के लिए यह आवश्यक है कि वे सरकार की प्राप्तियों तथा व्यय के आंकड़ों का समाधान महालेखाकार द्वारा लेखाबद्व किए गए आंकड़ों के साथ करें। सभी मुख्य नियन्त्रक अधिकारियों/नियन्त्रक अधिकारियों द्वारा समाधान पूर्ण कर लिया गया है।

7.6 लेखे प्रस्तुत करने वाली इकाईयों द्वारा लेखाओं का प्रेषण

हिमाचल प्रदेश सरकार से सम्बन्धित प्राप्तियों एंव व्यय के लेखाओं को 17 जिला कोषागारों, 74 लोक निर्माण मण्डलों, 88 वन मण्डलों, 52 सिंचाई मण्डलों द्वारा प्रेषित प्रारंभिक लेखाओं तथा भारतीय रिजर्व बैंक की सम्मतियों के आधार पर संकलित किया गया है। लेखे प्रस्तुत करने वाली इकाईयों द्वारा प्रेषित लेखे संतोषजनक थे तथा किसी भी लेखे को वितीय वर्ष के अन्त में असमायोजित नहीं रखा गया।

7.7 अग्रिम Òxrku

आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को अपेक्षित राशि को अग्रिम आहरण करने की अनुमति दी गई है तथा बाद में प्रेषण द्वारा समायोजन किया जाना आवश्यक है। यद्यपि राज्य सरकार ने ऐसे समायोजन वाउचरों के लिए कोई भी प्रणाली नहीं बनाई है जिसके चलते महालेखाकार महोदय को यह प्रमाणित करने में कठिनाई होती है कि सभी अग्रिमों का समायोजन कर दिया गया है और किसी भी प्रकार का कोई भी अनियमिता/ग़बन नहीं हुई है। पिछले कई वर्षो से महालेखाकार (लेखा व हकदारी) राज्य सरकार से आकस्मिकता बिल की प्रणाली तथा साथ ही साथ विस्तृत आकस्मिकता बिल की प्रणाली अपनाने का निवेदन कर चुके हैं, जैसा कि केन्द्रीय सरकार या अन्य राज्यों में होता है परन्तु यह मुददा हल नहीं हो पाया है।

7.8 अपूर्ण पूंजीगत निमार्ण कार्यो बारे वचनबद्धता

विभिन्न अपूर्ण परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा ₹121 करोड़ की मूल अनुमानित लागत के सम्मुख वर्ष 2014-15 तक के वित्त लेखे के खण्ड- II में दिए गए परिशिष्ट IX के अनुसार ₹141 करोड़ का कुल व्यय किया गया था।

विभिन्न परियोजनाओं पर मूल अनुमानित लागत (₹121 करोड़) में 17 प्रतिशत का आवर्धन हुआ। मल निकास स्कीमों तथा जलापूर्ति स्कीमों के अन्तर्गत संशोधित अनुमानों में असामान्य वृद्धि पाई गई। अपूर्ण पूंजीगत निर्माण कार्य से सम्बन्धित प्रतिबद्धताओं पर संक्षिप्त दृष्टिकोण इस प्रकार हैः-

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	कार्य का श्रेणी (काय की संख्या)	निर्माण कार्य की लागत	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के दौरान अद्यतन व्यय	बकाया राशियां	संशोधन के उपरान्त निर्माण कार्य की लागत
1	मल निकास स्कीम (8)	42	--	63	--	66
2	जलापूर्ति स्कीम(1)	17	2	20	--	10
3	भवन कार्य (3)	62	2	58	3	--
	जोड़	**121**	**3**	**141**	**3**	**76**

© भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक
2015
www.cag.gov.in

www. aghp.cag.gov.in